राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ७८वां दिवस [संख्या ४६

सोमवार, ४ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० १० बज कर १६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० १३४७.

डॉ० चन्द्रकला

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३४८

श्री जयचन्द्र मोहिल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

दूदू में सिवाय चक की भूमि

१३४९. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या दूदू खास में मोटर स्टेन्ड के पास सिवाय चक ज़मीन है ? यदि हां, तो कब से और किस की ?

(ख) क्या उस ज़मीन पर दुकानदारों का कब्जा था जिसे ज़बरदस्ती हटा दिया गया ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(ग) क्या उक्त ज़मीन का पट्टा दुकानदारों का १० व १५ साल का था और दुकान बनवाने के लिए तहसील से प्रार्थना भी की गई थी ? यदि हां तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां, ठिकाना दूदू के समय से ही है और उन्हीं के कब्जे में रही। अब उक्त ठिकाना खालसा होने के पश्चात् सरकार के कब्जे में आ गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। उक्त स्टाल सड़क सीमा के अन्दर होने के कारण रजामन्दी से हटाये गये हैं।

(घ) जी हां। अब वह दरख्वास्त दुकान बनवाने के सम्बन्ध में सब डिविज़नल

Page No 2

(श्री संपतराम)

ऑफिसर की अदालत में विचाराधीन है।

(ङ) मामले के निबटारे के सम्बन्ध में भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री प्रभूलाल पुरोहित : अब यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री सम्पतराम : इसके बारे में तो निश्चित नहीं कह सकते। पर एग्रीकल्चरल लैण्ड को आबादी में कन्वर्ट करने का सवाल है वह की जायेगी या नहीं, यह अलग सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी

पूर्व राज्य अजमेर तथा राजस्थान के कर्मचारियों का पे स्केल

१३५०. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Please state the number of temporary and officiating employees of former Ajmer State categorywise (i. e. class I, II, III) who were reverted on 1.11-56 from higher posts held by them on 31.10.56 and also from 2.11.56 to date ? Similar number may also kindly be given for employees of the former Rajasthan State for the same period.

(b) What is the policy of the Government regarding promotions made by the former Rajasthan Government as well as the former Ajmer Government upto 31.10.56 according to preseribed methods, rulses and regulations ?

(c) Who is entitled to special pay according to Rajasthan Service Rules ? What protection was given by the Rajasthan Government to employees of former princely States as regards their special pay, personal pay so as to save them from loss in emoluments on their opting for unified pay scale ? Is it a fact that special pay drawn by employees of princely States was treated as integral part of basic pay and merged in it and then they were allowed the option to elect unified pay scale and were further allowed special pay attached to unified pay scale ?

(d) Has the Rajasthan Government given these privileges to Ajmer employees also ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्रीजी की ओर से)

(a) Information is not readily available. Its collection from various departments will take time.

(b) Substantive promotions have remained unaffected. The continuance of the temporary and officiating promotions depends upon the availability of vacancies and the position of the incumbents in the inter-laced seniority lists.

(c) (i) Under rule 7(31) of the

Page No 3

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Rajasthan Service Rules, special pay is granted in consideration of:—

(a) the specially ardous nature of the duties,

(b) a specific addition to the work or responsibilities, or

(c) the unhealthiness of the locality in which the work is performed.

(ii) Special pay or personal pay etc. (excluding conveyance, dearness or house rent allowances) of pre-merger employees of covenanting units of Rajasthan which were:—

(a) sanctioned before 1. 11. 48, without being subjected to time limit,

(b) drawn until the formation of Rajasthan, and

(c) but for integration would have continued to be paid, were (i) treated as integral part of pay, if these were granted in lieu of higher pay in a permanent post or in consideration of the more ardous nature of duties,

(ii) protected form drop of emoluments by the grant of suitable personal pay absorbable in future increases of pay (including special pay) if such allowances were granted for performance of certain additional duties and were not a specific addition to their grade pay.

(iii) Special pay which was covered by (a) above was only treated as integral part of pay for fixation in the unified pay scales. Special pay attached to unified pay scales was permissible only to those employees who opted for unified pay scale and was not allowed to those who retained the unit pay scales.

(d) The Government employees affected by the reorganisation of State were given certain protection in accordance with certain decisions taken by the Government of India in consultation with the States concerned. According to these decisions special pay which was drawn in lieu of higher time scale was only protected. The Rajasthan Government, however, liberalised this concession and allowed special pay to Ajmer employees, opting for Ajmer scales, and in the following cases also:-

(i) Where special pay was admissible on a post in Ajmer and is also admissible on an equivalent post in Rajasthan;

(ii) Where special pay is admissible in Rajasthan to an incumbent of a post for possessing prescribed qualifications, and

(iii) where special pay is admissible in Rajasthan for furnishing securitise.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Ajmer employees who were

Page No 4

(श्री पी. के. चौधरी)

getting special pay or personal pay that was not taken into consideration while determining their emoluments for fixing in the Rajasthan scales and after fixation in Rajasthan scales they have not been given any special pay ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already given the reply.

श्री पी० के० चौधरी : You said that they were given. I say they were not given. will you cite an instance...

श्री दामोदरलाल व्यास : It is better if the Honreble Member cites an instance in which it has not been given and I will look into it. It is not possible for me to give a list of the Ajmer employees.

श्री पी० के० चौधरी : I am asking for a single instance where you have given.

श्री दामोदरलाल व्यास : Every body who is entitled under these rules, I said he must have been given it. This is the presumption. If the Hon. Member can give an instance to the contrary, I will certainly look into it.

श्री पी. के. चौधरी : I am saying that not in a single case it has been given.

श्री अध्यक्ष : What he says is that they have been absorbed according to rules and if in these rules there is any provision for the protection of personal pay or special pay, it will certainly be given in every case.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, there are no rules for protecting the special pay or personal pay of the Ajmer employees.

श्री दामोदरलाल व्यास : My reply is very clear. I said that the Government employees affected by the reorganistation of State were given certain protection in accordance with certain decisions taken by Government of india in consultation with the States concerned. According to these decisions special pay which was drawn in lieu of higher time scale was only protected. The Rajasthan Government, however, liberalised this concession and allowed special pay to Ajmer employees opting for Ajmer scales, and in the following cases also:—

(i) Where special pay was admissible on a post in Ajmer and is also a dmissible on an equivalent post in Rajasthan;

(ii) Where special pay is admissible in Rajasthan to an incumbnt of a post for possessing prescribed qualifications, and.

(iii) where special pay is admissible in Rajasthan for furnishing securities.

Page No 5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

I have already said this and now it is for the Hon. Member to give an instance where these rules are not being observed and I will certainly look into it.

श्री अध्यक्ष : He thinks that these rules are not liberal enough.

श्री पी. के. चौधरी : My information is that Ajmer employees have not been given any protection.

श्री दामोदरलाल व्यास : If he gives an instance, I will examine the case.

श्री पी. के. चौधरी : One thing more. Part (a) of the question has not been replied. That was a vital part of the question and he says that the information is not available with him. So some other date may be fixed for replying it.

श्री अध्यक्ष : That would be very lengthy and I don't think it would be of any useful purpose.

श्री पी० के० चौधरी : Purpose was this Sir, that all the Ajmer employees who were temporary promoted, they have been reverted whereas in case of Rajasthan...

श्री अध्यक्ष : You ask for principles that they have followed, then...

श्री पी. के. चौधरी : What are those principles. He simply says that information is not available with him.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have given all the principles in part (b) of the reply and if the Hon'ble Member does not listen to them, I am not responsible.

श्री पी० के० चौधरी : You have not given the number of persons who have been reverted.

श्री दामोदरलाल व्यास : For that I have already submitted that the information is not collected, and you can have it from me when it is available.

श्री अध्यक्ष : Yes, when it is available, you can have it from him.

Next question.

बीकानेर डिवीजन के० एल० डी० सी० व यू० डी० सी०

१३५१. श्री रूपाराम (नौखा सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) बीकानेर डिवीजन में कुल कितनी पोस्ट एल डी० सी० एवं यू० डी० सी० की ३१. ३. ५० को थी ?

(२) जनवरी ५८ से कितने यू० डी० सी० बनाये गये और उनमें से कितने १ नवम्बर तक की रेवेन्यू लिस्ट के अलावा है अत्र उनको विशेष तरक्की देने का क्या कारण है ?

(श्री रूपाराम)

(३) क्या यह सही है कि बहुत से क्लर्कों को सीनियोरिटी से वंचित करके जूनियर क्लर्कों को यू० डी·सी० बनाया गया और एक क्लार्क को नायब तहसीलदार भी बनाया गया है ? अगर हां तो क्यों ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री संपतराम) : (१) १३ पोस्ट यू० डी० सी०, २७२ एल० डी० सी० की थी।

(२) कुल १६ कर्मचारियों को आरज़ी तौर पर यू० डी० सी० की जगह काम करने का अवसर दिया गया । १२ कर्मचारी १ नवम्बर तक की रेवेन्यू लिस्ट के अलावा हैं। इन्हें तरक्की देने के कारण एकाउन्ट्स की योग्यता, अन्य विभागों में यू० डी० सी० होना अथवा सीनियोरिटी व योग्यता है।

(३) जी हां, तरक्की के लिये सीनियोरिटी के साथ कार्यकुशलता और योग्यता भी अपेक्षित है।

एक क्लार्क को नायब तहसीलदार कोलोनाइजेशन में आरज़ी तौर पर लगाया गया था क्योंकि बेटरमेंट लेवी आदि के लिये योग्य व्यक्ति मिलते न थे उनकी थोड़ी योग्यता जाहिर होती थी।

श्री रूपाराम : उनकी योग्यता कैसे जाहिर हो गई थी ?

श्री संपतराम : वह कमिश्नर के दफ्तर में काम करते थे । उनको टेम्पोरेरिली शार्ट पीरियड के लिए लगाना था क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। २, ३ महीनों में वापस रिवर्ट कर दिया था। कमिश्नर के यहां थोड़े दिनों के लिये लगाया था और ये अच्छा काम करते थे इसलिये टेम्पोरेरिली लगाये गये थे।

श्री लक्ष्मीचन्द (साचौर) : क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि क्लर्क्स में से योग्य व्यक्तियों को नायब तहसीलदार लगाया जाय ?

श्री संपतराम : नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो फिर ऐसा करने के क्या कारण थे।

श्री संपत्तराम : बेटरमेन्ट लेवी का काम था इसलिये टेम्पोरेरी लगा दिया था। बाद में रिवर्ट कर दिया गया।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उनका क्या नाम था ?

श्री संपतराम : श्री अमरसिंह।

सन् १९५८–५९ में कुटीर छोटे व भारी उद्योग

१३५२. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) राजस्थान में सन् १९५८–५९ के वर्ष में किस संख्या में और कहां पर कुटीर, छोटे और भारी उद्योग, खोले गये ? इसकी एक सूची ज़िलों के अनुसार सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

Page No 7

(श्री रामेश्वरदयाल)

(ख) कुटीर, छोटे और भारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कितना रुपया कर्ज दिया ? इसकी भी सूची ज़िलों के अनुसार सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सन् १९५८–५९ में सरकार द्वारा कोई कुटीर छोटे और भारी उद्योग नहीं खोले गये। निजी क्षेत्र में खोले गये। ऐसे उद्योगों का सर्वे डाइरेक्टर ऑफ इकॉनोमिक्स एन्ड इन्डस्ट्रियल सर्वे द्वारा किया जाने वाला है। इसके बाद ही यह सूचना दी जा सकती है।

(ख) कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु इस वर्ष में १४, ०१, ८२५ रुपया उद्योग विभाग द्वार और १,७७, ४२५ रुपया कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत किया गया, सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

राजस्थान फाइनेन्शिल कॉरपोरेशन द्वारा सन् १९५८–५९ में कुल ६,५३, ६००) रु० कर्जा दिया गया जिसमें से ५ लघु उद्योगों को १,५७, ५००) रु० भी सम्मलित है। स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन एक्ट १९५१ की धारा ४० के अन्तर्गत कॉरपोरेशन सूची देने में असमर्थ है।

भारी उद्योगों को सरकार द्वारा निम्निलिखित कर्ज स्वीकृत हुआ और दिया गया:—

पार्टी का नाम	कर्जे की रकम
१. मेसर्स जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर	६० लाख
२ मेसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स, उदयपुर	३० लाख

जिस दिन स्वीकृति दी गई	जिस वर्ष रकम दी गई
२४. ११. ५६	१९५७
२६. ६. ५८	पहली किश्त १५

लाख के पेटे १२. ६० लाख दे दिया गया है बाकी रकम इस वर्ष में दिया जायगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : छोटे कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में आपने पहले प्रश्न के जवाब में 'नहीं' कहा तो क्या सरकार की नीति पंचवर्षीय योजना में उन्हें खोलने के लिये निर्धारित नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी इस प्रकार की नीति नहीं बनी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या छोटे उद्योगों के बारे में कोई नीति नहीं है सरकार की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार उनको सिर्फ मदद के रूप में कुछ देती है। यह मदद चाहे धन के रूप में हो या टैक्निकल एज्युकेशन के रूप में हो लेकिन छोटे उद्योग सरकार नहीं खोलती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनको मार्क आउट कर दिया है कि उनको मदद देनी चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक धन की मदद का सवाल है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रुपये देती है और उन्होंने एक प्रोविज़नल लिस्ट भेज रखी है उसके अनुसार देखकर मदद देते हैं। केमिकल इन्डस्ट्रीज़, आयर्न-शीट्स वगैरह है इस प्रकार की इन्डस्ट्री और भी कई हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट भेजी है क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में इन्कॉर-पोरेट किया है ? यदि किया है तो एड लेने के लिये क्या रूल्स हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन कमेटी बनी हुई है, जो दरख्वास्तें आती हैं उनको देख कर लोन देती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से एक दफा उत्तर मिल चुका है। कौन कौन से कुटीर उद्योग राजस्थान में चल सकते हैं उनका सर्वे कराया गया है और नीति निर्धारित की गई है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सरकार की ओर से कोई कुटीर उद्योग खोलने की नीति नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है। लघु उद्योग सरकार खोल रही है या नहीं इसका उत्तर मैंने दे दिया कि सरकार की नीति लघु उद्योग खोलने की नहीं है। उनको प्रोत्साहन और मदद देने के लिये ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले हैं, उनको कर्जा दिया जाता है और जो स्माल इन्डस्ट्रीज़ चल रही है उनको प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो उद्योग मन्त्रालय उसका कार्य केवल मदद देने का ही है या जो उद्योग नष्ट हो गये हैं उनको पुनर्जीवित करने का नहीं है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो नीति है वह मैंने बतलादी।

प्रश्न संख्या १३५३

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३५४

श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३५५

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३५६

श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

महिला सदन, धौलपुर

१३५७. गोवरधनसिंह केन (बयाना मु० डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) महिला सदन धौलपुर की सलाह-

(श्री गोवरधनसिंह)

कार परिषद् में कितने सदस्य हैं ? उसमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ?

(२) उक्त महिला सदन में कितने कर्मचारी हैं तथा उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ-उपाध्याय) : (१) महिला आश्रयगृह, धौलपुर की कोई सलाहकार परिषद नहीं है बल्कि एक प्रबन्ध समिति है जिसमें ८ सदस्य हैं। इनमें एक भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है।

(२) उस आश्रय—गृह में एक सहायक व्यवस्थापिका, ३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और २ अंशकालिक कर्मचारी और हैं। इनमें एक अन्य पिछड़ी जाती की महिला और एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी है।

डॉ० बहादुरसिंह : वे क्या काम करते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो कर्मचारी जिस काम के लिये नियुक्त है वह वही काम करता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या वे चपरासी हैं या सफाई करने का काम उनसे लिया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चपरासी हैं होते हैं।

प्रश्न संख्या १३५८

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार (अनुपस्थित)

एन. ई. एस. ब्लॉक नोखा में चपरासियों की बर्खास्तगी

१३५६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि आज्ञा पत्र नं० ४०४ १० तारीख २३.४.५७ को एन. ई. एस. ब्लॉक नोखा की कार्यवाहक ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर श्रीमती शांता व्यास ने जीतूसिंह व सीताराम नामक चपरासियों को नौकरी से बर्खास्त किया ? अगर हां, तो किस कसूर में ?

(२) क्या यह सही है कि उनमें से एक को ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर ने कुछ दिनों बाद वापिस नौकरी पर बहाल कर दिया ? अगर हां, तो किसको ? और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर की यह कार्यवाही गैर कानूनी व उसके पॉवर्स से बाहर की वस्तु थी ? अगर हां, तो उस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(४) दूसरे चपरासी को वापिस नौकरी पर न रखने का कारण क्या था ?

उप-मंत्री (श्री सम्पतराम मुख्य मंत्री की ओर से, (१) जी हां,अनुशासन भंग करने के अपराध में।

(२) दोनों ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

श्री सम्पतराम)

को विकास अधिकारी के आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा की गई अपील के स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप वापिस नौकरी में रख लिया गया था । कुछ अर्से के बाद श्री सीताराम को अन्य मामलों में नियमित रूप से चार्ज शीट देकर नौकरी से अलग किया गया था ।

(३) कार्यवाहक विकास अधिकारी होने के कारण उन्हें किसी भी कर्मचारी को नौकरी से अलग करने का अधिकार नहीं था। किन्तु उसकी यह कार्यवाही एक बोनाफाइड गलती थी। अतएव उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(४) अनुशासन भंग करने के कारण उसे नौकरी से अलग किया गया । उसकी अपील अभी विचाराधीन है ।

श्री गिरधारीलाल : पहली बार जब दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था तब क्या उनको चार्जशीट दी गई थी ?

श्री सम्पतराम : उनको चार्ज शीट दी गई और नियमानुसार सभी फोरमेलिटीज़ को ओबज़र्व किया गया, लेकिन जो दण्ड दिया गया वह उनको नहीं देना चाहिये था ।

श्री गिरधारीलाल : चार्ज़शीट किस तारीख को दी गई थी ?

श्री सम्पतराम : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल : फिर आपने कैसे बताया कि चार्जशीट दी गई थी जब आप तारीख नहीं बता सकते। उसको २३ तारीख को बर्ख्वास्त किया गया और चार्जशीट दी नहीं गई। क्या आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगे कि चार्जशीट दी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : केस की इन्क्वायरी चल रही है। जो कुछ वाजिब होगा फैसला हो जायगा ।

श्री गिरधारीलाल : चार्जशीट दी गई या नहीं ?

प्रश्न संख्या १३६०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६१

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी इन्क्वायरी करायेंगे कि चार्जशीट दी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं दी गई है तो भी उसकी अपील पेन्डिंग है । उसका कसूर नहीं है तो रीइन्सटेट कर दिया जायगा ।

श्री गिरधारीलाल : उसको चार्जशीट नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से सरकारी कर्मचारियों के बारे में व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नहीं लेना चाहिये । कार्यवाही चल रही है ।

Page No 11

श्री गिरधारीलाल : मेरा निवेदन यह है कि चार्जशीट नहीं दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सलाह दीजिये उस तरह से कार्यवाही करें।

मिडिल स्कूल हरीगढ़ के अध्यापकों के टी. ए. तथा एरियर बिल

१३६१. श्री भैरवलाल कालाबादल (श्री सम्पतराज द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मिडिल स्कूल, हरीगढ़, ज़िला भालावाड़ के अध्यापकों के टी. ए. बिल तथा सप्लीमेन्ट्री वार्षिक वेतन वृद्धि बिल एरियर बिल सन् १९५४ से सन् १९५८ तक की रकम किस व्यक्ति ने प्राप्त की है?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त बिलों की रकम किसी ने जाली हस्ताक्षर करके प्राप्त करली है?

उप मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) अध्यापकों की सूची जिन्होंने टी. ए. बिल इत्यादि प्राप्त किये हैं, सदन की मेज पर रक्खी गई है।

(२) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(३) जिन अध्यापकों ने याददहानी दिलाई है और जिस तारीख को दिलाई है उसकी सूची भी सदन की मेज पर रक्खी है।

श्री सम्पत्तराज : इसमें मिडिल स्कूल ज़िला भालावाड़ के लिये पूछा गया था सारे के लिये नहीं पूछा गया था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जो जबाब दिया है वह हरीगढ़ की स्कूल के बारे में है।

(कृपया परिशिष्ट सं० १ देखिये)

प्रश्न संख्या १३६२

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

(अनुपस्थित)

नोहर तहसील की इमारत पर २६ जनवरी, १९५९ को झन्डारोहण

१३६३. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर सु. श्री श्रीभानसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि २६ जनवरी १९५९ को राष्ट्रीय पर्व पर नौहर तहसील की सरकारी इमारत पर स्थानीय सब डिविज़नल मेजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इन्कार कर दिया था?

(ख) क्या यह सत्य है कि १५ अगस्त १९५८ को भी उपरोक्त सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने सरकारी प्रोग्राम की अवहेलना कर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की रस्म अदा नहीं की?

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त एस. डी. एम. को राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोई चिढ़ है?

Page No 12

उप-मंत्री (श्री संपत्तराम मुख्य मंत्री की ओर से) : एस. डी. एम. नौहर दिनांक २६ जनवरी १६५६ को बीमार थे। अतः झंडा फहराने में असमर्थ थे।

(ख) दिनांक १४ अगस्त से १७ अगस्त सन् १६५८ तक उपरोक्त एस. डी. एम. छुट्टी पर थे और बीमार थे। अतः झंडारोहण करने में असमर्थ थे। उपरोक्त दोनों अवसरों पर तहसीलदार नौहर ने राष्ट्रीय झंडारोहण किया।

(ग) जी नहीं।

कोटपूतली में सरकारी अधिकारियों की शिकायत

१३६४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटपूतली दौरे पर राजस्व मंत्री महोदय को कांग्रेस कार्य कर्ताओं की सभा में अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत की ?

(२) उक्त मीटिंग में किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत की।

(३) इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत्तराम) : (१) जी हां।

(२) किसी अधिकारी विशेश की शिकायत नहीं की गई थी।

(३) शिकायत करने वालों को कोई विशेष मामले बतलाने को कहा गया था पर कोई ऐसा मामला अभी तक किसी ने नहीं बतलाया। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : आपने भाग (१) के जबाब में जी हां, कहा है, क्या जिस समय शिकायत की गई किसी अधिकारी के बारे में खास तौर से नहीं बताया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) जैसा कहा गया शिकायत की गई। किन अधिकारियों के खिलाफ़ क्या क्या स्पेसिफिक शिकायत थी लिखकर देने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने लिखकर नहीं दिया।

राजस्थान में एटम रिएक्टर की स्थापना

१३६५. श्री **सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर) : क्य उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान में एटम रिएक्टर लगाने की योजना है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री खिखबचन्द धारीवाल) : ऐसी कोई योजना नहीं है।

भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कर्मचारियों की पेन्शन

१३६६. श्री **जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर, रावराजा श्री सरदारसिंह द्वारा पूछा गया):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कितने कर्मचारियों के पेन्शन के केसेज़ अभी तक तय नहीं हुए हैं, तथा इनमें से कितनों का देहान्त हो गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पत्तराम) : ७८ कर्मचारियों के केस अभी अनिर्णित है जिनमें से ५ के देहान्त होने की सूचना सरकार को है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बार बार सवाल आता है कि कर्मचारियों को चार पांच वर्ष हो गये लेकिन पेन्शन का निपटाना अब तक क्यों नहीं हुआ ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) बहुत से जागीर कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत आती है कि उन्होंने फर्जी केसेज पेश किये है । सरकार को जांच करनी पड़ती है इसलिये देरी लगती है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनके यहा पेन्शन रूल्स बन चुके है और फाइल्स मौजूद है उनको तो पेन्शन दीजिये जो फर्जी है उनको मत दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच कायदे से की जाती है आॅटोक्रेटिक वे से जांच नहीं होती, अगर इस तरह से जांच होगी तो आप ही नाराज होगे । जांच जल्दी करने की हिदायत करादी है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूँ कि चार चार वर्ष तक जांच होती नहीं है, यह क्या बात है । बेचारे कितने ही तो मर गये ।

श्री अध्यक्ष : श्री दया कृष्ण विजय ।

श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लालसोट) : इसका जवाब दे दिया जाय ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

अध्यापकों को स्थाई करने के नियम

१३६७ **श्री दयाकृष्ण विजय** (छाबड़ा, श्री प्रभुदयाल पुरोहित द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—शिक्षा विभाग में अध्यापकों को स्थाई करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? कृपया ये नियम सदन का मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उप मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) : शिक्षा विभाग में अध्यापकों को राजकीय नियुक्ति विभाग सी के परिपत्र संख्या एफ ५-२६- नियुक्ति (सी) ५६ दिनांक ३०. ६. ५६ में दिये गये निर्देशानुसार स्थाई किया जाता है । परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रख दी है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

जिला टोंक में हलका बन्दी

१३६८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि सन् १६५६ से आज तक टोंक डिस्ट्रिक्ट में हलका बन्दी हुई थी जिसमें गिरदावरों और पटवारियों की वृद्धि की गई थी ?

Page No 14

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(ख) अगर हां, तो उपरोक्त डिस्ट्रिक्ट में तहसीलवाइज़ कितने कितने गिरदावर और पटवारियान की वृद्धि किन किन आधारों पर हुई ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह बतायेंगे कि प्रत्येक पटवारी के पास कितने नम्बर सेटिलमेंट के अनुसार होने अनिवार्य हैं ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, लैंड रिकॉर्ड मेनुअल में स्पेसिफिकेशन दिये हुए हैं। इसके अलावा हमने रेवेन्यु अधिकारियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं।....

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ कि एक पटवारी के पास कितने नम्बर होने चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) लैंड रिकॉर्ड मेन्युअल में दर्ज है कि पटवारी के पास कितने होने चाहिये, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के पास कितने होने चाहिये। कितने कितने नम्बर तक चेकिंग करना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि टोंक डिस्ट्रक्ट में कई पटवारियों के पास सात हजार नम्बर हैं, कई पटवारियों के पास ढाई हज़ार हैं, किसी के पास तीन हज़ार है, यह क्या है ?

श्री सम्पतराम : ऐसा हो सकता है। इसी बात को मद्दे नज़र रखते हुए प्रोवीजन किया गया है। जिस वक्त राजस्थान का फार्मेशन हुआ, उसके बाद स्टेन्डर्ड लेवल पर लाने के लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं। वे गवर्नमेंट लेवल पर विचाराधीन हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां अनियमिततायें हैं, वहां मन्त्री महोदय इन्क्वायरी करके इस लेवल पर लाने की कृपा करेंगे ?

श्री सम्पतराम : मन्त्री महोदय को जानकारी थी, इसी कारण रिकॉर्ड लैंड मेनुअल में प्रोवीज़न किया गया।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

संस्कृत विद्यालय

१३६६. डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५९-६० में कितने नवीन संस्कृति विद्यालय खोलने की योजना है ?

(ख) क्या सरकार ने पृथक से कोई संस्कृत पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है ? यदि हां, तो भारत को कौन कौन से विश्व विद्यालय, राजस्थान की किस किस परीक्षा को किस किस स्तर तक मान्यता देते हैं ?

(ग) क्या संस्कृत विश्व विद्यालय, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की व्यवस्था के लिए ही राजस्थान के संस्कृति विद्यालयों का प्रयोग किया जाता है ?

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) अभी कोई योजना नहीं है।

(ख) जी हां। संस्कृत की परीक्षाओं के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित है। वर्तमान में ये परीक्षाएं भारत के किसी भी विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ग) जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : जब कि दूसरे विश्व विद्यालयों की परीक्षायें राजस्थान विश्वविद्यालय को मान्य हैं, यदि राजस्थान विश्व विद्यालय दूसरे विश्व विद्यालयों को मजबूर करेंगी, मान्यता देने के लिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये डिपार्टमेंटल परीक्षायें हैं, युनिवर्सिटी की नहीं हैं। इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि दूसरी युनिवर्सिटी की परीक्षाओं को मानें।

डा० बहादुरसिंह : डिपार्टमेंटल परीक्षाओं से क्या लाभ होगा ?

श्री पूनमचध्द बिश्नोई : युनीवर्सिटी को दे रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Hon'ble. Deputy Minister state what he means by departmental parikshayen ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Which are not conducted through any independent body like a Board or a University.

श्री श्रीभानसिंह : Then it is the Education Department which sets papers for the examination in Sanskrit ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes. There is a departmental committee which sets the papers.

श्री श्रीभानसिंह : Who are the members of that Committee ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The names are not with me at present. You may please put another question and relevant information will be furnished to you.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : In which subjects these departmental examinations are held ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Only in Sanskrit.

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government have some special man in charge of these Sanskrit examinations or it is entrusted to the Director of Education ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: Previously we had a Registrar of Departmental Examinations and now there is a separate directorate of Sanskrit.

श्री श्रीभानसिंह : Who is the Director of Sanskrit Education ?

श्री पूनचन्द बिश्नोई : Shri Madhav Krishana.

डॉ० बहादुरसिंह : संस्कृत डाइरेक्टर द्वारा योजना प्रस्तुत की है कि संस्कृत विद्यालय न खोला जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने सुना नहीं।

डा० बहादुरसिंह : क्या संस्कृत डाइरेक्टर ने कुछ रिकमन्डेशन की हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस साल प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आयुर्वेदिक परीक्षा प्राप्त व्यक्तियों को आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट रजिस्टर करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी सूचना नहीं है। इसका संस्कृत से ताल्लुक है।

श्री पी० के० चौधरी : फिर आपने यह कैसे कह दिया कि सिर्फ संस्कृत के लिए होता है और किसी के लिए नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने एजूकेशन के लिए निवेदन किया।

श्री पी० के० चौधरी : आयुर्वेद एजूकेशन में नहीं आता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेडीकल में है।

डा० बहादुरसिंह : आपने कहा कि डाइरेक्टर संस्कृत ने रिकमन्ड नहीं किया। अगर वह रिकमन्ड करे तो क्या उस पर आप विचार करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

भूमिहीन व्यक्तियों की गणना

१३७०. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारा सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी समितियों को गठन करने व खाली भूमि वितरण करने हेतु जिलास्तर पर भूमिहीन व्यक्तियों की गणना की जा रही है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य सम्पन्न हो चुका है ?

(३) यदि हां, तो उक्त गणना के आधार पर राजस्थान में कुल भूमिहीनों की संख्या डिविजन व जिला वाइजकितनी है ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) जी हां।

(२) व (३) भूमिहीन व्यक्तियों की गणना का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर दिया जाय।

आई. एम० ए. का सेलेक्शन

१३७१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर, रावराजा श्री सरदारसिंह द्वारा पूछा गया) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) आई. ए. एस. (अपाइन्टमेंट बाई प्रमोशन) रेगूलेशन्स, १६५५ के अनुसार जनवरी १६५६ में किये गए आई. ए. एस. के सेलेक्शन के लिए किन किन अधिकारियों की सेलेक्शन कमेटी बनी थी ?

(२) क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार सीनियर मोस्ट कमिश्नर का शामिल किया जाना आवश्यक था ? यदि हां, तो फिर बीकानेर कमिश्नर को शामिल क्यों नहीं किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मंत्रीजी की ओर से) :

(१) जनवरी सन् १६५६ में किये गए आई० ए० एस० के सेलेक्शन के लिए निम्न अधिकारियों की सेलेक्शन कमेटी बनी थी:—

१. मेम्बर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ।

२. चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान सरकार ।

३. चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान ।

४. श्री कामता प्रसाद, आई० ए० एस० कमिश्नर कोटा और

५. डॉ० बी. एल. रावत, आई० ए० एस० कमिश्नर जोधपुर ।

(२) हां, नियमानुसार सीनियर मोस्ट कमिश्नरों का शामिल किया जाना आवश्यक था । कमिश्नर बीकानेर श्री एम० यू० मैनन जो कि सीनियर मोस्ट कमिश्नर हैं, राज्यपाल के बीकानेर आगमन के कारण उक्त सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शरीक होने में असमर्थ थे । अत: उनकी ओर से इस सम्बन्ध में सूचना मिलने पर उनके बजाय डॉ० बी० एल० रावत, आई० ए० एस०, कमिश्नर जोधपुर जो कि श्री मैनन के बाद सीनियर मोस्ट कमिश्नर हैं, को सेलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जब यह सेलेक्शन कमेटी बैठी थी उस समय कितने आदमी प्रजेन्ट थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यानी ऑफिसर्स ?

श्री श्रीभानसिंह : जो कमेटी के सदस्य थे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभी मेम्बर प्रजेन्ट थे ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) ; जब यह कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उस समय मैनन के नाम पर रावत का नाम था ?

श्री दामोदरलाल व्यास ; रूल्स हैं उसके अन्दर लिखा हुआ है । ऐसा है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, चेअरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और टू सीनियर मोस्ट कमिश्नर । इनमें नॉमीनेट कर दिया, मैनन एन्ड कामता प्रसाद को । मैनन ने इत्तला दी कि गवर्नर साहब की विजिट के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कारण मैं शरीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कमिश्नर थे, उनको नोमीनेट कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : गवर्नर साहब का जाना इम्पोरटेन्ट था या मीटिंग इम्पोरटेन्ट थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a matter of opinion and the Hon. Member is free to have his own inference.

श्री श्रीभानसिंह : मैनन साहब ने गवर्नमेंट को सूचना कब दी कि गवर्नर साहब के जाने की वजह से कमेटी अटेन्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने किस डेट को दूसरे कमिश्नर को नोमीनेट किया कि वह अटेन्ड करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The date is not available with me, but I don't think that is material. As soon as Mr. Menon got the information that he has to attend the committee meeting, he sent intimation for his inability to attend the meeting.

श्री श्रीभानसिंह : यह गवर्नमेंट ने ऑप्शन एक्सरसाइज़ किया, रावत साहब को अपाइन्ट करने का, वह किस रूल्स के तहत गवर्नमेंट एक्सरसाइज़ कर सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Naturally when a member cannot attend a meeting on account of circumstances beyond his control, the Government has to make alternative appointment.

श्री शिवचरणदास : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने पूछा है, माननीय मंत्री जी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, मैं अंग्रेजी जानता नहीं। हिन्दी में जवाब चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस बात का सवाल पूछा। अंग्रेजी में किस बात का जवाब दिया।

श्री शिवचरणदास : श्री श्रीभानसिंह जी ने यह पूछा है कि कमिश्नर ने कब इत्तला दी कि वे नहीं शरीक हो सकते और गवर्नमेंट ने दूसरे को कब एपॉइन्ट किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि जिस तारीख की सूचना दी, वह तारीख मेरे पास है नहीं, जिस समय मैनन को सूचना दी गई यह कमेटी मुकर्रर की गई, तो उन्होंने गवर्नमेंट को वापिस सूचना दी कि वह नहीं आ सकते हैं, गवर्नर की विजिट की वज़ह से। उसके बाद गवर्नमेंट ने श्री रावत को मुकर्रर कर दिया।

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि दूसरा कमिश्नर आपने मुकर्रर किया, वह किस रूल्स के तहत किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस रूल के सीनियर मोस्ट कमिश्नर को मुकर्रर करना चाहिए, उसके तहत किया।

Page No 19

श्री श्रीभानसिंह : वह कौनसा रूल है, जिसके तहत सीनियर मोस्ट कमिश्नर ही हो, जूनियर मोस्ट कमिश्नर नहीं होना चाहिए। आपने यह ऑप्शन एक्सरसाइज़ किया, वह किस रूल के तहत किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा, वही होगा। जिस रूल का हवाला दिया गया, उसमें लिखा है : Two senior-most Commissioners of the State will be there. Naturally, if one is unable to attend, the next senior-most officer has to be appointed.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उसमें कुछ समय होगा कि इस समय तक पहुँचा जा सकता है। या केवल टेलीफोन कर दिया, मैं उधर जा रहा हूं, आप इधर कर दो।

श्री दामोदरलाल व्यास : समय नहीं है। जो कमेटी मुकर्रर है, उस कमेटी में मेम्बर न आ सकें तो गवर्नमेंट डिस्क्रिशन एक्सरसाइज़ कर सकती है। That discretion was exercised judicially.

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि श्री रावत की नियुक्ति नियम के विरुद्ध की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिलकुल नहीं ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस कमेटी में सेलेक्शन के लिये गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि सेलेक्शन करते समय कम से कम इतना कोरम रहना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : At the moment कोरम के रूल्स का तो पता नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो रूल्स की तारीख बता दूं रूल्स गजट में छपे हुए हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मैनन साहब ने इतला दी थी कि वे अटेन्ड नहीं कर सकेंगे यह राइटिंग में दी थी या टेलिफोन से दी थी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वे अवेलेबल नहीं थे।

श्री पी० के० चौधरी : The point is whether intimation was given to him sufficiently in advance so as to adjust his programme accordingly and attend the meeting.

श्री अध्यक्ष : But the Governor's visit was there.

श्री पी० के० चौधरी : We want to know whether the Commissioner informed in writing that he could not attend the meeting for such and such reasons.

श्री दामोदरलाल व्यास : It was in writing. Shri Menon was appointed on this Board of Selection by a letter dated 18th December, 1958. This letter was sent by Shri R. D. Mathur, in which Shri Kamta Prasad and Shri Menon were appointed. And this is a copy of this letter from Shri Menon:-

"......I have received the information for appointing me on the Board..."

(श्री दामोदरलाल व्यास)

It is dated 30th and then he wrote that he could not attend the meeting.

श्री पी० के० चौधरी : Please read the whole letter.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary to read the whole letter. I was referring it for my own information.

श्री पी० के० चौधरी : He is withholding information from the House Sir. He should be asked to read the whole letter.

श्री अध्यक्ष: श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी था कि किस तारीख को ऑर्डर हुआ था इसलिये ही तो यह प्रश्न पूछा गया है कि नियम के विरुद्ध बात थी। मन्त्रीजी तो ५८ का पढ़ रहे हैं जब कि मैनन साहब की नियुक्ति हुई थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि नियमों के अनुसार ही नियुक्ति हुई थी उन्होंने लिखा कि १२ से १४ जनवरी तक गवर्नर का विजिट होगा इसलिये मैं अटेन्ड नहीं कर सकूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : You have not read that portion.

श्री दामोदरलाल व्यास : I need not read it. I have given you the information.

श्री पी० के० चौधरी : He is simply saying Sir. He is not reading it.

श्री दामोदरला व्यास : Hon. Member can have a copy of this letter if he wants it and he should put another question for it.

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह इन्टरव्यू कौनसी तारीख को फिक्स हुआ था ?

श्री दामोदरललाल व्यास : तारीख मुझे इस समय याद नहीं है।

प्रश्न संख्या १३७२.

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर

(अनुपस्थित)

श्री सूबेदारसिंह।

तहसील बसेड़ी के गांवों में अग्निकाण्ड

१३७३. **श्री सूबेदारसिंह** : (बाड़ी डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील बसेड़ी के कितने व कौन कौन से गांवों में सन् ५८ से ५६ मार्च तक आग लगी व कितना नुकसान हुआ, तथा अग्नि पीड़ित व्यक्तियों में से कितनों को क्या क्या सहायता की गई व शेष न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उपमन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : तहसील बसेड़ी में सन् १६५८ में किसी भी गांव में अग्निकाण्ड नहीं हुआ, हां

(श्री सम्पतराम)

दिनांक २४—३—५६ को मौजा सागाउनी में आग लगी जिसमें करीब ७० व्यक्तियों का अनुमानित ३६१४५ रु० का नुकसाक हुआ। जिलाधीश धौलपुर को आदेश दिये जा चुके हैं कि वह उन व्यक्तियों को जिनको कि साया व खाने का प्रबन्ध करना नियमानुसार आवश्यक है, सहायता दी जावे।

डा० बहादुरसिंह : तत्काल सहायता क्या दी गई ?

श्री सम्पतराम : इसके बाक़ायदा रूल्स हैं कि जितना नुकसान हुआ हो उसका १/६ तक गवर्नमेंट दे सकती है।

डा० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि फौरन सहायता क्या दी गई ? बाद में तो जो रूल्स हैं देते रहेंगे।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इसमें २४ फरवरी को आग लगी थी, वहां जितनी जल्दी सहायता दी जानी चाहिये थी उतनी जल्दी सहायता नहीं दी जा सकी इसका हमें अफसोस है। इसके लिये हमने एस. डी. ओ. को भेज कर यह मालूम करवाया है कि किन किन को तत्काल कितनी कितनी सहायता की आवश्यकता है ?

डा० बहादुरसिंह : तत्काल सहायता क्या दी ?

श्री अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं कि तत्काल सहायता दी जाय, इसके लिये एस. डी. ओ. को भेजा है।

डा० बहादुरसिंह : यह क्या तत्काल सहायता है ?

श्री श्रीभानसिंह : इतनी देरी का क्या कारण है, क्या वहां तहसीलदार नहीं है जो फौरन जांच करके तत्काल सहायता के लिये एस. डी. ओ. को लिख कर भेजता ?

श्री सम्पतराम : अगर यही सारी बात होती तो मुझे सदन में रिग्रेट जाहिर करने की आवश्यकता नहीं होती कि जितनी जल्दी सहायता दी जानी चाहिये थी उतनी जल्दी नहीं दे सके।

श्री श्रीभानसिंह : आपका रिग्रेट तो बहुत अच्छी बात है पर मौके पर तहसीलदार ने जा कर जांच कर के रिपोर्ट फौरन क्यों नहीं भेजी ?

श्री अध्यक्ष : इसकी वे जांच कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आग लगी उससे नुकसान हुआ उसका तख्मीना कब किया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आग लगने के बाद ही किया जाता है पहले थोड़ा ही किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह

कुंआ बनाने के लिये तकावी

१३७४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : (श्री अनोपसिंह द्वारा पूछा गया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री तनसिंह)

(क) क्या आसोतरा गांव ज़िला बाड़मेर में २०००) रु० कुंआ बनाने के लिये किसी को तकाबी दी गई थी ? यदि हां, तो किस किस को ?

(ख) क्या यह सही है कि यह रुपया खसरा नं० १८ में कुंआ खोदने के लिये लिया गया था ?

(ग) खसरा नं० १८ उस समय और अब किसकी ज़मीन के अन्तर्गत है तथा क्या वह कुंआ वास्तव में खोदा गया अथवा नहीं ? अगर खोदा गया तो कहां ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत-राम) : (क) जी हां, तीन सज्जनों को। चौधरी कानाराम, चौधरी तेजा राम व श्री पुरुषोत्तमदास को।

(ख) जी हां। श्री पुरुषौत्तम दास को।

(ग) खसरा नं० १८ उस समय श्री काना भील के कब्जे में था और अब भी उसी के कब्जे में है। कुआं नहीं खोदा गया। एक कच्चा कुंआ खसरा नं० ६६२ में खोदा गया।

श्री अनोपसिंह : जब यह मालूम था कि १८ नं० का खसरा उनका नहीं है तो उनको तकाबी किस हिसाब से दी गई ?

श्री सम्पतराम : जब तस्दीक की गई तहसील लेवल पर तो खसरा नं० नहीं दिया था, काश्तकारों के कब्जे में जमीन थी उसी हिसाब से दिया। उसने कुंआ नहीं खुदवाया, अतः अब उससे तकाबी की रकम एक मुश्त वसूल करने की आज्ञा दे दी गई है।

श्री अनोपसिंह : क्या इस प्रकार के रुल्स हैं कि तकाबी देने से पहले पटवारी और तहसीलदार सर्टिफाई करते हैं तभी तकाबी मिलती है ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री अनोपसिंह : तो फिर यह बताइये कि किस आधार पर दिया है। पटवारी और दूसरों ने तस्दीक की है उस फार्म की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : अब तक कार्यवाही तो नहीं की गई किसी ने गलत सूचना तो नहीं दी। खसरा नं० दर्ज नहीं किया है। शायद एप्लीकेन्ट ने दर्ज नहीं किया है, इसकी वजह से गलती हुई है।

श्री अनोपसिंह : खसरा नं० नहीं दिया और पूरी कार्यवाही नहीं हुई तो तकाबी क्यों दी गई ?

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि जमीनें तो एप्लीकेन्ट्स के पास सबके पास हैं, खसरा नं० गलत बताया, उसमें कुंआ खोदा नहीं इसलिये तकाबी वापिस वसूल करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि तकाबी लोन कमेटी हुआ करती है वह रिकमन्ड करती है तभी तकाबी मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती ?

श्री सम्पतराम : यह १९५३-५४ का पुराना केस है, इस लिये मैं नहीं कह सकता।

श्री मदनसिंह : तहसील में तकाबी कमेटी है, वह पहले रिकमन्डेशन करती है, उससे पहले तो मिल ही नहीं सकता...

श्री अनोपसिंह : वापिस वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सम्पतराम : ऑर्डर कर दिया गया है कि एक मुश्त वसूल की जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : तहसीलदार ने और पटवारी ने गलत तस्दीक किया पज़ेशन ऑफ लैंड का, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री सम्पतराम : इसमें गलत तस्दीक करने की कोई बात नहीं जमीन सबके पास थी, ज़मीन होने की उन्होंने तस्दीक की है। पर उसने कुंआ खोदा नहीं, खोदा है तो इन्कम्प्लीट है इस आधार पर रिकवरी करने के आदेश दिये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि एप्लीकेशन में खसरा नं० दर्ज करना पड़ता है ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि तकावी देने से पहले तहसीलदार और पटवारी खसरा नं० तस्दीक करते हैं कि यह सही है तभी तकावी दी जाती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : तहसीलदार और पटवारी यह सर्टिफाई करते हैं कि काश्तकार के पास ज़मीन है कि नहीं, वह तकावी लोन का हकदार है कि नहीं I am very doubtful...

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me give my reply please. इसकी तस्दीक करनी पड़ती है कि खातेदार है जमीन है, इसकी वजह से तकावी लेने का मुस्तेहक है। जिस काम के लिये उसने तकावी ली उस काम में नहीं लगाया है इस लिये रिकवर कर रहे हैं। इस वक्त यह बात जानकारी में नहीं है कि उसने यह तसदीक किया था कि नं० १८ के लिये कि यह उसकी जमीन है। यह जानकारी कर ली जावेगी और जानकारी हो जावेगी तो उस पर एक्शन जरूर लिया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब पटवारी खेत नम्बर देता है तो पटवारी अपने खाते को देख कर उसके नम्बरों से वेरीफाई करता है कि आया उस खेत पर उसका कब्ज़ा है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही है कि काश्तकार अपना नम्बर देते हैं और पटवारी को वेरीफाई करना होता है।

श्री मदनसिंह : प्रश्न यह था कि जब यह नियम है कि तकावी कमेटी जब तक पास नहीं करती तब तक उसको कोई नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : क्या तकावी कमेटी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस वक्त तकावी कमेटी नहीं बनी थी। तकावी कमेटी नियुक्त नहीं हुई थी। इसके अलावा जब मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि अगर गलत रिपोर्ट होगी तो इसकी जानकारी करा ली जावेगी और यह मालूम हो जावेगा कि उसने गलत रिपोर्ट की है कि यह नम्बर १८ की जमीन उसकी है, जब तक इस बात को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सूचना नहीं हो, कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। इसकी जांच करा ली जावेगी। अगर किसी ने ऐसा नाजायज किया है तो उसको सजा दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न (ता० २७-४-५६)

गंगापुर के तहसीलदार द्वारा हरिजनों के घर तुड़वाये जाना

१२०६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गंगापुर (ज़िला सवाई माधोपुर) के तहसीलदार द्वारा हरिजनों (चमारों) के घर तुड़वाये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस कारण से ? कितने परिवार इन घरों में रहते आ रहे हैं और कितने अर्से से ?

(ग) अब इन परिवारों को यहां से उजाड़ कर सरकार इस जगह किनको बसाना चाहती है तथा क्यों ?

(घ) इन हरिजनों को वहां ही आबाद रखे जाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री संपतराम) : (क) गंगानगर टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि में अवैधानिक रूप से घरों के निर्माण किये जाने पर तहसील गंगापुर से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा ६१ के तहत ऐसे समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध राजकीय व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही की गई थी। किन्तु बाद में वह स्थगित कर दी गई है।

(ख) प्रश्न के खंड क के उत्तर में दर्ज किया जा चुका है। इन हरिजन परिवारों की संख्या १३५ है जिसमें से ८ परिवार जून सन् ५८ से और १२७ परिवार सन् ५६ से इस भूमि पर आबाद हुए हैं।

(ग) यह भूमि बहुत लम्बे समय से गंगापुर टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत अवाप्त की जा रही है। उक्त स्कीम के सम्बन्ध का एक प्लान भी बन चुका है जो विचाराधीन है। अतः जिस कार्य के लिये यह अवाप्त की जा रही है वह उसी कार्य में ली जानी अपेक्षित है। क्योंकि राजस्थान टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट एक्ट १६५८ की धारा ६० की तहत कृषि योग्य भूमि जिस कार्य के लिये नियत हो उसी में ली जावे। अतः मौजूदा परिस्थिति में इस भूमि पर इन लोगों के बसाने में कानूनी आपत्ति है।

(घ) इसका उत्तर प्रश्न के खंड (ग) में दिया जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) सेक्शन ६१ के नीचे कब नोटिस दिया गया ?

श्री सम्पतराम : इसमें बहुत से व्यक्ति हैं जिनको नोटिस दिया गया। आप किनके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सेक्शन ६१ के नीचे कार्यवाही करनी चाहिये थी उसके नाम ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आप १२७ के नाम बता दें ।

श्री सम्पतराम : जिनकी ज़मीन ली गई थी उनके नाम बहुत ज्यादा है । हरिजनों के भी हैं । इसलिये उनका नम्बर देना संभव नहीं है । बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कुछ नाम ही बता दें । किसके खिलाफ किस तारीख को कार्यवाही की गई ।

श्री सम्पतराम : नाम और तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जिनके मकान तोड़ दिये गये हैं उनका नम्बर बता दीजिये ।

श्री सम्पतराम : मकान किसी का नहीं तोड़ा गया हटाने के नोटिस दिये गये थे इसी बीच में माननीय राजस्व मन्त्री ने १४.८.५८ को उसके लिये स्टे ऑर्डर दे दिया है कि जब तक कोई पूरा प्रबन्ध नहीं हो जावे तब तक इनके मकान न हटाये जाये ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या उनको कोई मुआवजा दिया जावेगा या नहीं ?

श्री सम्पतराम : मुआवजे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आप ज़मीन छीनले तो भी क्या है गरीबों की ?

श्री सम्पतराम : कानून की नज़रों में गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं होता ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : कानून के अन्तर्गत दिया जाता है ।

श्री सम्पतराम : अगर उन्होंने गवर्नमेंट की सेंक्शन से बनाई है तो गवर्नमेंट मोरली बाउन्ड है, लेकिन कानून के खिलाफ अगर किसी ने कोई अधिकार कर लिया और कम्पेन्सेशन मांगे तो नहीं दिया जा सकता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : १२७ का नम्बर तो सरकार ने बताया है ।

श्री सम्पतराम : यह तो टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को सुपुर्द की जावेगी और उसकी स्कीम के अनुसार जहां पर स्कूल बनाना होगा स्कूल बनेगी, जहां मकान बनना होगा मकान बनेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) : आपकी तरफ से कोई उनको इन्सट्रक्शन्स नहीं हैं कि उनके घर तोड़े जाते हैं तो उनको कुछ मुआवजा दिया जाए या उनके लिये दूसरा प्रबन्ध किया जाएं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । वहां पर एग्रीकल्चरल बगैहर इजाज़त उन्होंने मकान बनाकर पट्टियें खड़ी करके क्वार्टर बना लिये । अब उस लैंन्ड को टाउन इम्प्रूवमेंट के लिये लिया जाता है । उसको म्युनिसिपैलिटी को दिया है । उनको बसने के लिये माकूल जगह बताई जावेगा ।

Page No 26

श्री पी० के० चौधरी : They are in possession of the Abadi land. That is a wrong argument.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि वहां ज़मीन में आबादी नहीं। बहुत से लोग दूसरों की ज़मीन में आबाद हो गये और जब से आबाद हुए तब से मुकदमा दर्ज हो गया है और उनको स्टे कर रखा है कि कोई हार्डशिप न हो। ट्रेसपासर को कानून में कोई रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि उनको बसाने के लिये माकूल इन्तज़ाम किया जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : वे लोग कब से आबाद हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किन किन के लिये पूछते हैं। कई साल से आबाद हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : हमारी यह सूचना है कि वे अपनी ज़मीन पर कई अर्से से आबाद हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२५३

श्री जयसिंह।

(अनुपस्थित)

अकाल सहायता

१२५६. **श्री रूपाराम** (नौखा सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील नौखा व कोलायत के कितने गांव इस वर्ष में अकाल ग्रस्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ? अगर हां तो सरकार इस विषय में क्या व्यवस्था कर कर रही है ?

(ग) क्या अकालग्रस्त ग्रामों में सहायता कार्य चालू हो चुके हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि अकाल सहायता वाटर सप्लाई स्कीम में अब तक कोई कूंआ चालू नहीं किया गया है जबकि लोगों को सात सात मील भी पानी उपलब्ध नहीं है ?

(ङ) क्या सरकार इसका प्रबन्ध शीघ्र ही करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, राजस्व विभाग (श्री संपतराम) :

(क) तहसील नौखा के ६१ व कोलायत के १४६ अकाल ग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) इस क्षेत्र में पानी की कठिनाइयां चली आ रही हैं। यह सरकार को ज्ञात है। पिछले कुछ महीनों ही में ब्लॉक की तरफ से ३०,०००रू० एकबार और २०,०००रु० एक बार पानी के साधनों को सुधारने के लिये

(श्री सम्पतराम)

मंजूर हुये हैं । जिनके कार्य चालू हैं और यह माननीय सदस्य को भली प्रकार मालूम है तहसील कोलायत में २० अप्रेल को जो ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें २०,००० रु० की स्वीकृति हुई थी । यह माननीय सदस्य श्री रूपारामजी की अध्यक्षता में ही हुई थी । सरकार की ओर से बीकानेर जिलाधीश को इस वर्ष पानी के प्रबन्ध के लिए १०,००० रु० धन राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है । जिसमें से जिलधीश ने तहसील कोलायत के वास्ते २,००० रु० वितरण कर दिये हैं और सूचना यह है कि आज ४ तारीख को तहसील रिलीफ कमेटी की मीटिंग हैं जिसमें यह निश्चित किया जावेगा कि यह धनराशि को कहां कहां और किस प्रकार काम में लिया जावे ।

(ग) सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं। सरकार द्वारा बीकानेर जिले में सहायता कार्य प्रारम्भ करने के लिये ५०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । संबधित अधिकारी व श्री रूपाराम अपनी अपनी तहसील रिलीफ कमेटी से मंत्रणा करके ९ मई को जिला राहत कमेटी के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वहां पर क्या क्या राहत कार्य चालू किये जावें और उसी तारीख को यह निश्चय होगा ।

(घ) इस इलाके में हमेशा से पानी की समस्या की कठिनता चली आ रही है और उसको हल करने के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है हर साल किया जा रहा है । अकाल सहायता दूसरे विभागों के कार्यों से अगर मिलती हो तो सरकार उसको ज्यादा महत्व देती है क्योंकि वह एक स्थाई रूप से भी महत्व रखती है । सरकार के पास अभी तक प्रत्येक गांव की पूर्णतया जानकारी नहीं हैं कि वहां से कितनी मील पर सबसे नज़दीक कुंआ है । सात मील उससे अधिक या कम । आम तौर पर जो इतला है वह यह है कि कोलायत तहसील में पानी की समस्या नोखा तहसील की अपेक्षा ज्यादा खराब है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि तहसील कोलायत को पानी की व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और आज तारीख ४ को तहसील राहत कमेटी की मीटिंग में उसके उपयोग के बारे में निश्चय किया जावेगा ।

(ङ) सरकार की तरफ से स्वीकृति दी जा चुकी है । दिनांक ९ मई १९५९ को जिला राहत कमेटी की मीटिंग में निश्चय होने के पश्चात् शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिये जावेंगे ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : प्रश्न यह है कि अब तक राहत कार्य चालू क्यों नहीं किये गये ?

श्री सम्पतराम : अब तक हर एक आदमी अपने कार्य में लगा हुआ था । अब राहत कार्य करने के लिये ठीक समय है और कार्य प्रारम्भ किये जाने वाले हैं । तहसीलदारों को हिदायत कर दी गई है कि कमेटी अपनी मंत्रणा करके निर्णय लें कि कौन सा काम स्थायी हो सकता हैं और किस काम को प्रयोरिटी देनी चाहिये । जब यह सूचना आ जायेगी तो अवश्यकता अनुसार रुपये देने की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

श्री भीमसेन : इस वक्त राहत कार्य

(श्री भीमसेन)

शुभ करते हैं जब कि तीन चार महीने पहले ही राहत कार्य चालू कर दिये जाने चाहिये थे।

श्री सम्पतराम : ६ मई को इसी बारे में अन्तिम मीटिंग हो रही है। ज्यादा दिन भी नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : राज स्थान में अकाल घोषित किया जा रहा है इसलिये सदन को इससे अवगत कराया जाय कि किन किन क्षेत्रों में अकाल घोषित किया जावेगा ?

श्री सम्पतराम : यह सूचना तो पहले ही गज़ट में नोटिफाई कर चुके हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनयारा) : अध्यक्ष महोदय, १२५८ का उत्तर दिलाया जाय जागीरदारों को आर्थिक कठिनाइयां है और उनके कारण वे मकानों की मरम्मत नहीं करा सकते हैं जब कि वे उनको देने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

भीलवाड़ा के मरहूम जागीरदार के महलात

१२५८ **श्री जयसिंह** (आसिन्द, राव राजा श्री सरदारसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(क) तहसील आसिन्द जिला भीलवाड़ा के सदन मुकाम पर जो महलात मरहूम जागीरदार के है उसकी अट्टालिकायें कितने मंजिल की है ? और उसमें मंज़िलवार कितने कमरे है ?

(ख) इस इमारत की लागत आज कितने रुपये की है ?

(ग) यह इमारत कब से किस विभाग के चार्ज में होकर क्या काम आ रही है ? और इसके मेन्टीनेन्स के लिये सालाना क्या बजट है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग : (श्री सम्पतराम) : (क) चार मंज़िल की है। प्राइवेट ओनरशिप होने से कमरों की संख्या बतलाना सम्भव नहीं।

(ख) प्रायः तीन चार लाख रुपये की।

(ग) केवल सात सात कमरे कन्या पाठशाला व प्राइमरी स्कूल के काम आते हैं। मेन्टीनेन्स के लिए राज्य सरकार के बजट में कोई प्रोवीजन नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जागीरदार सरकार रीज़नेबल पैसा देने के लिए तैयार हो तो लेने के लिए तैयार है ?

श्री सम्पतराम : सरकार को जरूरत हो तो किसी बिल्डिंग को लेने के लिए नेगोशियेट कर सकती है। जब जरूरत ही नहीं है तो नेगोशियेशन की क्या आवश्यकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां कन्या पाठशाला चल रही है इसलिए उसको ले लिया जाय। जागीरदार तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण मेंटेन नहीं कर सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : कोई भी बिल्डिंग सरकार की आवश्यकता के अनुसार ली जा सकती है न कि किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता अनुसार।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोई मकान खाली पड़ा है, काफी रुपया खर्च हुआ है यदि इस प्रकार की बिल्डिंग्स को नहीं लिया जावेगा तो खाली पड़ी रहेगी।

श्री सम्पतराम : जिस कार्य के लिए उपयुक्त हो सकती है और जरूरत हो तो उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता न हो तो नेगोशियेशन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : १३४८ का जवाब दिलाया जाय। यह जयचन्द्रजी मोहिल का है।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : १३४७ का भी और दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : १३४७ से ही शुरू कर दें।

नागरिक रसद विभाग के स्टाफ का उद्योग विभाग में संविलियन

१३४७. डॉ० चन्द्रकला (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Industries Minister be pleased to state :

1. How many persons have been absorbed in Industries Deptt. upto 1-1-56 out of the staff of Civil Supplies Department ?

2. Has this staff been confirmed from the date of their appointment or from the date of absorption in the Industries Department i. e. 1-1-56 ?

3. Were the staff of the Civil Supplies Department, absorbed in Industries Department, on the same posts on which they were in Supplies Department ? If not, why ?

4. How many persons have not been fixed up in the unified pay scales as well as in the rationalised pay scales and why ?

5. Are there any persons who are not getting the pay since absorption ? If so, why ?

उप मन्त्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. 165 persons.

2. 11 persons have been confirmed from the date of absorption. With regard to the confirmation of the rest the question whether the supply posts in this Department in the Collectorates and Tehsils etc. are temporary or permanent is under consideration.

3. All the ministerial staff except six were absorbed on the same posts which they were holding in Suppiy Department. The six pereons were, on detailed examination, found inligible and were reverted as L. D. Cs. Two of them have since been promoted as U. D. C. again. The statement regarding six persons mentioned above is enclosed (Appendix 'C').

Page No 30

(डॉ० चन्द्रकला)

Staff other than Ministerial could not be posted on the same posts, as such posts did not exist in this Department.

4. 12 persons have not been fixed in unified Pay Scales and 29 in Rationalised Pay Scales. A list has been placed on the table.

5. No.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्म उद्योगों के हेतु ऋण और सहायता

१३४८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (आसिन्द सु० श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री द्वारा पूछा गया) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्मोद्योग के निमित्त ऋण और सहायता देने की योजना है ? यदि हां, तो उसके क्या २ आधार हैं ?

(ख) आज तक चर्मोद्योग के निमित्त किन २ सहकारी समितियों, संघ, व्यक्तियों को कितना २ ऋण एवं सहायता दी गई ? अलग २ ग्राम व शहर वाइज़ बतायां जावे ।

उप मंत्री ग्रामोद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्मोद्योग के लिये ऋण व सहायता दी जाती है । यह सहायता आयोग की योजना के अनुसार ऋण व सहायता के रूप में दी जाती है । अनुदान व्यक्ति को न दिया जाकर सहकारी समितियों या संस्थाओं को दिया जाता है ।

अनुदान स्वीकृत करने का आधार उस स्थान की उत्पादक क्षमता कच्चे माल की सुविधा आदि है ।

(ख) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अब तक विभिन्न सहकारी समितियों व संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं, उनकी ज़िलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जो संस्थायें पहले से चर्मोद्योग का काम करती हैं उनको सहायता दी जाती हैं या नई संस्थाओं को ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई भिन्नता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ग्रामोत्थान नामक संस्था कहां चल रही है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आपने लिस्ट दी है । ग्रामोत्थान संस्था जयपुर में चल रही है और वह कहां चल रही है और उसको कितना रुपया दिया गया है और जो रुपया दिया गया है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, उसका संयोजक कौन है ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लिस्ट के

Page No 31

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नम्बर २ पर दिया हुआ है। यह डिस्ट्रिक्ट जयपुर में है। अजमेर डिविजन में है। मैं कह नहीं सकता कि किस स्थान पर चल रही है। लोन सब्सिडी कितनी दी गई है, यह सब इसमें दर्ज है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : ऐसी कोई जगह है जहां लाखों रुपया दिया गया लेकिन वह पता नहीं लगता कि चर्मोद्योग को दिया गया है? कौन इसका संयोजक है और कौन इसको चला रहे हैं और जब यह नहीं है तो यह रुपया देना ही बेकार है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितना सवाल पूछा गया है उसका जवाब दे दिया गया है। सूची मांगी कि कितना २ लोन इन संस्थाओं को दिया गया वह भी दे दी गई है। इनके सेक्रेटरी कौन हैं, प्रेसीडेन्ट कौन हैं, यदि ऐसा पूछेंगे तो उसकी जानकारी दे दी जावेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : हरिजनों को लोन दिया गया है या और लोगों को दिया गया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हरिजनों को दिया गया है हरिजन टेनरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको दिया गया है। तबके के आदमियों को ही दिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : कितनी संस्थायें चल रही हैं और कितनी का तो आउट पुट कुछ भी नहीं है। कितनी ऐसी संस्थायें चल रही हैं और कितनी का नामोनिशान भी नहीं हैं।

श्री रिखबचन्द धारिवाल : ये जितनी संस्थायें हैं और जिनको लोन दिया गया है हमारी जानकारी में तो सब ही चल रही हैं। आप बतायें कि कौनसी नहीं चल रही है तो उसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पी० के० चौधरी : १३७३ का और पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब समय हो गया है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार किया जा रहा है।

११.१८ म० पू०

विधायी कार्य
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय की वृद्धि

श्री निरंजननाथ आचार्य (सभापति प्रवर-समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के नियत समय को दिनांक १८ मई, १९५९ तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

११.१६ म० पू०

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५६

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि पांच दिन इस विधेयक पर बहस करते हुए हो गये हैं और दिनांक ४ और ५ और इस पर विचार करने के लिए निर्धारित किये गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन दो दिनों में इस कार्य को समाप्त करना है इसलिए बहस उसी हिसाब से करें ताकि निर्दिष्ट समय में ही यह बिल पारित कर सकें। क्लाज़ ३० तक बहस हो चुकी है और वे पारित भी हो चुके हैं। ३१ वें क्लाज़ से आज लिया जावेगा। कुल ६४ क्लाज़ेज हैं। काफी अमेन्डमेन्टस लेने हैं एवं बहस करनी है। थर्ड रीडिंग पर भी काफी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि संशोधन प्रस्तुत करें वह संक्षेप में करें ताकि थर्ड रीडिंग में बहस का समय मिल सके।

डॉ० बहादुरसिंह।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) :संशोधन इस प्रकार है:-Clause 3. Sub-clause (1)

Part (a)

Substitute 'one' for "five"

Part (b)

(1) Substitute 'Five' for 'seven'

(2) Substitute "one year" for "three years".

Sub-clause (5)

Omit the whole sub-clause (5)

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३१ पर मेरे संशोधन हैं। क्लाज़ ३१ में वे ट्रस्ट जो कि इस बोर्ड में होंगे उनकी प्रोपर्टी ट्रान्सफर की जावेगी उसके लिए पूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता है। इस बिल में मौजूदा प्रावधान पांच हजार का है। मेरा संशोधन यह है कि १ हजार कर दिया जावे। दूसरा है लैंड। ७ वर्ष देने की व्यवस्था की है उसकी जगह पर ५ साल कर दिया जावे और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसके तीन साल की जगह पर एक साल कर दिया जावे।

इसलिये संशोधन रखने की आवश्यकता समझी गई कि हम उस धार्मिक सम्पत्ति की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस धार्मिक सम्पत्ति में अव्यवस्था आ गई है। वे लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि बोर्ड की मियाद पांच साल की होगी उसी अवधि में जो लैन्ड है उस बोर्ड को अपने कार्य काल तक रखने की व्यवस्था देना चाहिये। हो सकता है उस बोर्ड के लोग किसी चीज में इन्टरेस्टेड हों और आने वाला बोर्ड यह समझता हो कि जो भूमि दी गई है वह अनुपयुक्त है। उस बोर्ड के लोग उस भूमि का दूसरे कामों में प्रयोग करना चाहते हैं इसलिये आवश्यक है कि इसकी मियाद को कम कर दी जाय।

नोन एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको अगर तीन साल के लिये देते हैं तो वह कोई उपयुक्त चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर लैन्ड के लिये हम मान सकते हैं कि पांच साल के बगैर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जहां तक नोन एग्रीकल्चर लैन्ड का सवाल है एक साल से अधिक देने की आवश्यकता नहीं नोन एग्रीकल्चर लैन्ड को आर्डिनरी दूकानों वगैरह के काम में ला सकते हैं। एक

(डॉ० बहादुरसिंह)

साल से अधिक की देने की व्यवस्था करते हैं उसका आमदनी पर बहुत असर पड़ सकता है अगर साल साल भर के लिये नीलाम कर दिया जाता है उसकी आय में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार से पांच हज़ार से एक हज़ार करने का तात्पर्य यह है कि उस ट्रस्ट के पास इतनी सारी सम्पति है वे ट्रान्सफर करेंगे पांच हजार तक की बगैर पूछे कर सकते हैं इस तरह से खंड खंड करके सारी सम्पति को ट्रान्सफर किया जा सकता है। मैंने जो संशोधन रखा है उनके अनुसार एक हजार तक की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं लेकिन उससे ज्यादा की हो परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी । मैं इसको इसलिये महत्व देता हूँ क्योंकि हमारे जो ट्रस्टस हैं उसकी संरक्षा के लिये हम व्यवस्था कर रहे है। जहां ट्रांन्सफर करने का सवाल आयगा उसमें एक हज़ार से कम या अधिक है तो उसकी पूर्व स्वीकृति बोर्ड से लेने की आवश्यकता होगी या राज्य सरकार से ये संशोधन उन ट्रस्ट्स के लिये हितकर है और हितकर होने के लिये ही हम व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं समझता हूं मेरे ये संशोधन उसके व्यवस्था में काफी सहायक होंगे। आशा है सदन इन्हें स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री० पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, I move that in Clause 31 delete sub-clause (5) अध्यक्ष महोदय, या जो क्लॉज़ ३१ है उसमें प्रीवियस सैंक्शन previous sanction for executing certain deeds etc.' है, इसके लिये क्लॉज़ ३१ में यह प्रावधान रखा है कि किसी को इनमेगनीटयूड ट्रान्ज़ेक्श्न करना हो वैसी हालत में सरकार की पर्मिशन लेनी चाहिये उनके लिये सैंक्शनिंग ऑथोरिटी असिस्टेन्ट कमिश्नर को रखा गया है। सब-क्लॉज़(५) है उसमें रखा है "An order of the Assistant Colmmissioner according or refusing to accord sanction shall be final." असिस्टेन्ट कमिश्नर के ऑर्डर को ही फायनल रखा है जो उचित नहीं है। अपील का तो कम से कम राइट रहना चाहिये इसलिये मेरा सुझाव है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। असिस्टेन्ट कमिश्नर रिफ्यूज़ कर दे तो आगे अपील कर सकते हैं। अनड्यू पर्मिशन दे दी जाती है तो Some party might go and appeal. इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट है, आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि असिस्टेन्ट कमिश्नर में ही सारे पॉवर्स वेस्ट नहीं होने चाहिये, अपील वगैरह का प्रोविज़न होना चाहिये। इसलिये उनका डिलीट करने का संशोधन है उसे मैं स्वीकार करता हूं।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं मैं उनको स्वीकार नहीं करता। वास्तव में छोटे छोटे टाइम के लिये

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लीज़ देना एक साल के लिये यह मेरे ख़याल से काफ़ी दिक्कत का मुकाबिला करना पड़ेगा ट्रस्टीज को। जो आदमी ज़मीन को लेता है उसको भी इतने थोड़े समय के लिये फायदा नहीं मिल सकता। इसलिये जहां वे सात से पांच साल करना चाहते हैं। सात की जगह पांच साल को मैं स्वीकार करता हूं। बाकी के प्रोवीज़न्स जिस तरह से हैं उसी तरह से रखे जाने चाहिये। क्योंकि असिस्टेन्ट कमिश्नर को ही फाइनल ऑथोरिटी नहीं रखा है। पांच हजार से कम एक हजार रुपया कम कर देने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आखिर बहरहाल ट्रस्टीज को इन्वेस्टमेन्ट के पॉवर होते हैं। पॉवरलेस ट्रस्टीज रखने से फायदा क्या। सब्स्टेन्शियली पॉवर्स नहीं देते हैं तो वे दिलचस्पी से काम नहीं करेंगे। इसलिये पांच हजार तक के जो पॉवर्स दिये गये हैं वे तो रहने चाहिये। जनरल सुपरविज़न बोर्ड का रखा है इसमें डरने की बात नहीं है। बेईमानी से किसी को इलीमिनेट करता है तो ऑर्डिनरी लॉ में चेलेन्ज हो सकता है। एक हज़ार करने का मतलब यह है कि बार बार पूछना पड़ेगा and they will have to obtain Devasthan Commissioner's permission. इससे सेटिसफाइड नहीं होंगे They shall lead to unnecessay litigation also. मैं समझता हूँ एक तो उनका संशोधन मैंने स्वीकार कर लिया है बाकी के प्रस्तावों को वे वापिस लेंगे। एक मैंने फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार कर लिया है।

डॉ **बहादुरसिंह** : जो संशोधन स्वीकार कर लिया गया उसके अलावा दूसरे संशोधन में वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि धारा ३१ के सब क्लॉज़ १ के भाग बी में जहां सात है वहां पांच सज़ा का जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

शेष संशोधन जो डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० **बहादुरसिंह** : मैं अपने शेष संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है संशोधित क्लॉज़ ३१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ३१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ३२.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष

Page No 35

(श्री लक्ष्मीचन्द)

महोदय, क्लॉज़ ३२ के अन्दर मेरा एक अमेन्डमेंट है वह इस प्रकार है "The words beginning with 'the form of such accounts' and ending with 'approved by the Asstt. Commissioner' be deleted."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अकाउन्ट का सवाल है, अकाउन्ट तो ठीक तरह से रखा ही जायगा और रखना पड़ेगा जैसी कि इस धारा की मन्शा है "The working trustee or manager of a Hindu Public trust which has been registered under this Act shall keep regular accounts of all movable and immovable properties of the trust..."

जहां तक अकाउन्ट का सवाल है उसके अन्दर मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी का रखना होगा सरकार के इन्टरफीयरेन्स का सवाल है उसमें असिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर का इन्टरफीयरेन्स नहीं होना चाहिये। एक तरफ हम उस अकाउन्ट के ऑडिट का सवाल रखते हैं तो उसको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से ऑडिट करना चाहिये। यहां तक तो ठीक है क्योंकि अकाउन्ट के मामले में उसकी राय एक्सपर्ट की राय है और अकाउन्ट जब ठीक है तो सब ठीक है, यही हम मानते हैं। मगर जहां सरकार के इन्टरफीयरेन्स का इसमें सवाल है, यह उचित नहीं होगा। सरकार ऑडिट करवा ले, पर यह नहीं कि कमिश्नर भी इसमें दस्तन्दाजी करे। उसे अकाउन्ट दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये, ऑडिटर की रिपोर्ट उसको भेजी जा सकती है। यही बस होना चाहिये। अगर सरकार का इसमें इन्टरफीयरेन्स होगा तो अकाउन्ट स्वतन्त्रता से और ईमानदारी से भी नहीं रख सकेगा। उन्हें एक न एक अड़चन का सरकार की ओर से भय सदा बना रहेगा और उस भय के कारण उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें कुछ दे दिवाकर चुप रखना पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार पनपेगा और हिसाब ठीक रखने का जो मकसद है वह भी समाप्त होगा। धारा ३३ और ३४ पर मेरे अमेन्डमेंटस हैं, इस की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके लिये इतना ही कहना चाहता हूँ कि असिस्टेन्ट कमिश्नर का इन्टरफीयरेन्स करने का जो प्रावधान रक्खा है उसको डिलीट कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी.के. चौधरी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अमेन्डमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है डिलिट करने के लिये, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। इसमें इन्टरफीयरेन्स का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अकाउन्ट किस तरह से किन फार्मों में रक्खा जावे। यह वह प्रेस्काइब करेगा। इससे ऑडिट में सहूलियत होगी और सभी जगह के हिसाब रखने के काम में एकरूपता आवेगी और इससे सहूलियत और सरलता बढ़ेगी। इसलिये केवल इसमें इतनी सी बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्दजी ने क्लॉज़ ३२ में रक्खा है वह स्वीकार की जावे।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३२ स्वीकार की गई।

क्लॉज़ ३३

श्री पी०के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : संशधन इस प्रकार है :

[Clause 33 Sub-clause (4)

The following words be added after the words and commas 'the Asst. Commissioner' in line two:-

'If satisfied after consulting the Regional Advisory Committee:-]

अध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने एक छोटा सा संशोधन इस बात का पेश किया है कि जहां पर स्पेशली चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को पूरी इन्क्वायरी के लिये कहा है यह उस सूरत में हो जब कि बोर्ड या रीज़नल एडवाइज़री कमेटी की ऐसी राय हो। अन्यथा इस प्रकार का खर्चा धार्मिक संस्थाओं पर नहीं होना चाहिये जो कि आपके अधिकारी की व्हिम पर निर्भर हो या अपनी अज्ञानता को और अपने बोझे को टालने के लिये किसी की भी शिकायत पर वह यह कह सकता है कि इसकी जांच करवा लो। उसके लिये तो एक लाइन लिखकर अपनी बला टालने का काम हो जावेगा पर उधर जांच कराने में जो खर्चा होगा वह खांमखां में धार्मिक संस्था पर पड़ेगा। तो इसके लिये मैंने यह संशोधन रखा है कि अगर इस प्रकार की जांच कराना भी हो तो इसमें बोर्ड या रीज़नल एडवाइज़री कमेटी की राय ले ली जावे। अन्यथा कमिश्नर की मर्जी पर इसे छोड़ना मेरी समझ में अनुचित होगा। एक बार जांच हो चुकी है और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ने जांच की है तो वह अधिकृत होनी चाहिये। उसमें अविश्वास करने का सवाल इतने हल्के से नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : संशोधन इस प्रकार है :

[The words 'Commissioner' and 'Asstt. Commissioner' be substituted by the words 'Board Concerned.' at each place occurring in theseclauses.]

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३३, ३४, ३५, ३६ में मेरे अमेन्डमेन्टस हैं। जहां वर्ड कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर है वहां वे शब्द हटाये जाकर 'बोर्ड कन्सर्न्ड' शब्द रक्खे जावें। इसमें कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर का हस्तक्षेप रहेगा तो बोर्ड स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकेंगे। इन सरकारी अधिकारियों के इन्टरफियरेन्स का मैं उदाहरण देता हूं।

Page No 37

(श्री लक्ष्मीचन्द)

स्थाणेश्वरजी का एक ट्रस्ट सिरोही में है जो ४६ में सरकार की संरक्षणता में बनाया गया। उसके बनने के बाद आज दिन तक वहां के कर्मचारियों और पुजारियों वगैरह को समय पर तनख्वाह और पैसा नहीं मिला कभी भी। सो इसी तरह अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर यह इन्टरफिरेयेन्स रहा तो सरकार का न तो समय पर निरीक्षण होगा, न समय पर बज़ट बनेगा, न बज़ट पेश होगा, न समय पर पैसा ही मिलेगा। लोग इस अन्दाज़ में बैठे रहेंगे कि सरकार का सारा काम समय पर हो जावेगा। अगर सरकार की ऐसी ही पेठ होती तो क्यों आज ३१ मार्च को बजट का आधा के करीब रुपया एक साथ खर्च होता है। इसका क्या कारण है। सरकार का काम सरकार का ही है। आज लोगों की आम धारणा यह बन गई है कि सरकार के माने ही हर काम को लेट करना, देर करना और गड़बड़ गोटाला करना है। सरकार समय पर बज़ट नहीं बनाती, समय पर स्वीकृति नहीं देती और इस कारण हमारे धार्मिक मामलों में सरकार का इस तरह का इन्टरफीयरेन्स रहा तो हमें तो यह पूर्ण विश्वास है कि सारे काम में गोटाला होगा। एक तरफ सरकार कहती है बोर्ड के लोगों को वह जनता में से चुनेगी और उनसे संचालन करवायगी तो फिर बात बात में सरकार के इन्टरफियरेन्स का क्या मतलब है? ट्रस्ट के आदमी अनुभवी होते हैं, वे जानते हैं किस तरह से बज़ट बनाया जाता है, दो घंटे में बैठकर वे लाखों का बजट बना सकते हैं और सुचारू रूप से सारे काम चलाते हैं, कभी कोई गड़बड़ी का काम नहीं। पर सरकार का जो स्वरूप है वह हम जानते हैं। उसके इन्टरफियरेंस से ईमानदारी से काम करने वाले आदमी भी घबरा जावेंगे और वे ऐसा महसूस करेंगे कि या तो स्तीफा दे देंगे या अपने को अयोग्य सिद्ध करेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि ऐसे अयोग्य और घोटाला करने वाले लोग आ जावेंगे जिनको सरकार चाहेगी कि वे आवें और इसके अन्दर गड़बड़ करें। ताकि सरकार की मरजी आवे वैसा बजट पेश हो, देर से हो, गड़बड़ी हो और पैसा जब मर्जी आवे तब दें, मर्जी न हो न दें, देर कर दें। तो समय पर सुचारू रूप से इससे काम नहीं होगा यह मेरी धारणा है। अगर सरकार अपनी मनमानी ही करना चाहती है तो यह स्पष्ट रूप से कह दे कि हम ही सब कुछ करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं सरकार के बड़े से बड़े महकमे में खुले आम भ्रष्टाचार है। अनियमितताएं होती हैं, आये दिन किस्से कहानियां सुनते रहते हैं। तो सरकार के इन्टरफियरेन्स से यहां भी यही हाल होगा। मैं तो और उदाहरण देता हूं। लौंक नगर एक ट्रस्ट बना। उसका ६ लाख रुपया था। सरकार में डिपोज़िट करा दिये। पुजारी सब चिल्लाते हैं, समय पर न बजट बनता है, न समय पर सेवा पूजा के लिये भी पैसा मिलता है। जनता यह सब समझती है। तो इन सब बातों को देखते हुए सरकारी हस्तक्षेप से कोई समय पर ठीक काम हो जावेगा इसकी मुझे तो बहुत कम आशा है। सदन के सभी महानुभाव जानते हैं कि सरकार का कोई काम समय पर कभी हुआ नहीं।

आज जिस फंक्शन को लेकर चाहते हैं कि वह हो, चाहे वह जैनियों का हो,

Page No 38

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वैष्णवों का हो या किसी का हो उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सरकार की जब तक मन्जूरी नहीं आवेगी, ट्रस्ट खर्च नहीं कर पावेगा और नहीं करेंगे तो व्यवस्था यह होगी कि जो मन्दिरों के प्रति लोगों की श्रद्धा है वह नहीं रहेगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां सरकार का इन्टरफियरेन्स है और कमिश्नर वगैरह का सवाल है वह हटा दिया जाये और बोर्ड को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाये ताकि वह अपनी मर्जी से जिसमें चाहे उसमें पैसा खर्च करे।

श्री अध्यक्ष : क्लॉजेज़ ३३,३४,३५ और ३६ एक ही साथ ले लें।

डॉ० बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके अन्दर एक संशोधन रखा है कि १२०० रुपये के बजाय जिन मन्दिरों की आमदनी दस हज़ार से ऊपर हो उन्हों से बजट मांगा जाये छोटे छोटे जो धार्मिक स्थान हैं उनमें अधिक हस्तक्षेप न हो और ऐसी हालत में १२०० की जगह १०,००० से ज्यादा की इन्कम हो "the working trustee of every Hindu public trust the gross annnal income of which exceeds twelve hundred rupe· मैंने उसकी जगह संशोधन दिया है कि १०,००० से ज्यादा की इन्कम होने वाले मन्दिरों का ही बजट मांगा जाये। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं धार्मिक मामलों में ज्यादा इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहता और जहां तक जनतंत्र का सवाल है और हमें जनतंत्र चलाना है तो उस स्थिति में हमें इस मामले में जो जीवन सम्बन्धी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अगर आप हस्तक्षेप करते ही हैं तो जो छोटे छोटे मन्दिर और धार्मिक स्थान हैं वहां आप इन्टरफियरेन्स न करें। लेकिन जिनकी आमदनी १०,००० से ज्यादा है केवल उन्ही से बजट मांगा जाये। जहां आपने १२०० लिखा है income of which exceeds rupees 12 hundred. उसकी इन्कम १०,००० से ऊपर हो उसी मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आज कल मेरा ऐसा खयाल है कि जहां आमदनी होती है वहां खर्चे भी बहुत होते हैं और जहां पैसों के दुरुपयोग करने का सवाल है, नाथद्वारा जैसे बड़े बड़े मन्दिर हैं या जहां लाखों रुपये का बजट बनता है तो वहां ट्रस्टी भी देख लेते हैं ऐसी जगह तो आपका इन्टरफियरेन्स होना ठीक भी है और अगर आपने छोटे छोटे मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया और बज़ट मांगना शुरू किया तो नतीजा यह होगा कि जिन संस्थाओं के दूसरे सामाजिक काम चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि कई सामाजिक काम लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार करते हैं। वह किसी लोभ के कारण नहीं करते हैं। बल्कि वह इसलिए करते हैं कि उनसे लोगों का कल्याण हो। उन कामों के अन्दर हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ऐसे छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप किया तो जो काम करने वाले हैं जो सेवक हैं वह अपनी खुशी से काम नहीं करेंगे क्योंकि वह देखेंगे कि हर एक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप होता है और बज़ट पेश करना होता है और उसके बाद में फिर सप्लीमेन्टरी बज़ट पेश करना

(श्री मूलचन्द डागा)

पड़ेगा और अगर माल को इधर उधर करना है तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसलिए आपका यह बजट मुश्किल है, इसलिए मैं कहूंगा कि १०,००० रुपये के ऊपर की आमदनी के ऊपर ही यह लागू होना चाहिए। अगर आपने छोटे छोटे मामलों में भी हस्तक्षेप किया तो अनुचित होगा और जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं होगा और लोगों की भावनाओं को कुचला जायेगा। चूंकि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि संक्षेप में कहा जाये तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि १०,००० से कम की आमदनी वालों के ऊपर आप हस्तक्षेप न करें। अगर आपने छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप किया तो गलत होगा। इसलिए मैंने १०, ००० की रकम का संशोधन रखा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have got an amendment. My amendment is that in Clause 35 substitute the words "five thousand" in place of the words "twelve hundred." and Delete sub-clause (2). अध्यक्ष महोदय यहां पर जो ओरीजीनल क्लॉज़ है उसके अन्दर लिखा है :

"The working trustee of every Hindu public trust the gross annual income of which exceeds twelve hundred rupees shall in each year, submit to the Asstt. Commissioner before such date and in such form as may be prescribed......" याने १२०० रुपये तक की इन्कम है उसके लिये भी आप बजट मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि १२०० रुपये की आमदनी का भी बजट गवर्नमेंट के सुपरवीजन में आ जाता है। जहां तक इस बिल का मकसद है, जिन ट्रस्टों के पास काफी पैसा होता है और जहां घोटाले की गुंजाइश होती है, उन्हीं को रोकने के लिए यह बिल बनाया गया है। लेकिन जहां तक १२०० तक की इन्कम है, एवरेजली मन्थली इनकम १०० रुपये आती है वहां उसका इंतज़ाम करने के लिए एक आदमी होता है फिर सालाना फंक्शन वगैरह होता है उसमें लगभग १२०० से ज्यादा खर्च हो जाता है। जिन मन्दिरों की कन्डीशन हैंड टू माउथ होती है उनकी आमदनी १२०० के करीब होती है। उसके बाद में गवर्नमेंट कन्ट्रोल होता है That Govt. is the best Govt. which governs the least. याने गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स कम से कम होना चाहिये और जिन इन्सटीट्यूशन में फण्ड्स के मिस यूज़ होने का सवाल हैं वहां ही गवर्नमेंट का कन्ट्रोल होना चाहिए। जहां १२०० की ईयरली इन्कम हो मैं नहीं समझता कि वहां कोई मिस यूज़ का कोई स्कोप है। एक दो आदमी जो उस मन्दिर की देखभाल के लिए होते हैं उनके मेन्टीनेन्स में ही १२०० से ज्यादा खर्च हो जाता है। इससे यह होगा कि सब जगह यह चीज़ फेल जायेगी और गवर्नमेंट का कन्ट्रोल हर छोटे से छोटे मन्दिरों में हो जायेगा। और इसके अन्दर ह्यूमन नेचर एज़ इट इज़ यह होती है कि कम से कम जगह में इंटरफियरेन्स चाहता है। इससे हमारा पपर्ज सर्व नहीं होगा और लोगों के अन्दर एक तरह का डिसइन्टरेस्ट क्रियेट होगा। इसलिए मैंने अमेन्डमेंट दिया है कि जिस मन्दिर की मन्थली इनकम पांच छः सौ रुपया हो उस पर सरकार अपना कन्ट्रोल रखें, वहां पर मिस यूज़ हो सकता है। लेकिन १२००

Page No 40

(श्री पी. के. चौधरी)

इन्कम में फण्ड का मिस यूज़ हो सकता है, यह चीज़ मैं नहीं मान सकता। मन्दिरों के जो स्पेसिफिक फंक्शन हैं उनके लिए ही फण्ड अवेलेबल नहीं होता है तो मिस यूज़ कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने रखा है कि Five thousand should be the minimum limit. तो इस कन्ट्रोल को हर एक ट्रस्ट के लोग डिसलाइक करते हैं। हमारा कोई फैमिली इन्टरफियरेन्स हो तो 'नो बोड़ी लाइक्स इट'। यह जितना लिमिटेड हो उतना ही अच्छा है। इसलिए मैंने ५००० का रखा है।

इसके बाद में मैंने दूसरा संशोधन सब-क्लॉज़ (२) के डिलीशन के लिए रखा है। सब-क्लॉज़ (२) बिल्कुल रिडन्डेन्ड है और उससे हमारा मकसद सर्व नहीं होता होता है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान सब-क्लॉज़ (२) की ओर आकर्षित करता हूँ। उसके प्रोवाइज़ों में लिखा है।

"Where at any time after the submission of the budget under sub-section (1) there appears to be the probability of a substantial decrease in the said receipts or a substantial increase in the said disbursements, the working trustee shall, within reasonable time, submit to the Asstt. Commissionre in such form as may be prescribed......" याने इन्कम कम होती है और खर्च बढ़ जाता है only in that case the working trustee will within the reasonable time submit to the Commissioner in the prescribed form showing the budget as increased or decrease अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह प्रोविज़न रहता है कि इन्कम बढ़ जाती है तो खर्च बढ़ जाने का भी रहता है। अगर इन्कम कम रह जाती है तो रिवाइज्ड बजट सब्मिट करने का है। लेकिन हमारा मकसद यह होना चाहिए कि इन्कम बढ़ जाती है तो उसके साथ ही साथ खर्च बढ़ता है तो जाकर रिवाइज्ड बजट रखने का सवाल आता है। तो मैं समझता हूं कि clause as it is जो उसका कन्ट्रक्शन है it is not the correct construction. The construction is very defective. और जहां तक बजट एस्टीमेट बनाये जाते हैं तो बजट एस्टीमेट जनरली उनके पास्ट एक्सपीरियन्स के ऊपर — पास्ट इन्कम और एक्सपेन्डीचर का असेसमेंट जो रहता है उसके ऊपर से बजट बनाते हैं और वी डू नाट फील कि काफी इन्कम कम होगी और कम हो जायगी तो नेचुरली खर्चा ज्यादा नहीं कर पायेंगे। कर्ज करके कोई खर्चा करने वाला नहीं है। इसलिए सब क्लॉज़ (२) है उसका मकसद क्या है What is the purpose ? What is the object it is deriving here ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। उसका प्रोवीज़न इतना ही है कि इन्कम कम हो जाय तो रिवाइज्ड बजट देना चाहिए या खर्चा बढ़ाया जाय तो रिवाइज्ड बजट देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इन्कम कम हो जाती है तो खर्चा आटोमेटिकली कम हो जाता है। रिवाइज्ड बजट की जरूरत नहीं होती है। युज़अल प्रोसीज़र यह रहता है कि कोई डिपार्टमेंट का एक्सपेन्डीचर कम हो जाता है उसके लिए देना नहीं पड़ता हैं या रिसीट कम होती हैं तो भी उनके लिए किसी प्रकार की सेन्क्शन चाहिए वह भी नहीं होता है। यह ज़रा मेरी

(श्री पी. के. चौधरी)

समझ में नहीं आता कि किस परपर्ज, किस आब्जेक्टिव से सबक्लाज (२) को रखा है। मैं समझता हूं कि It is a seperate item in the budget? कि उनकी इन्कम को कन्ट्रोल करने के लिए हमारा मकसद है या जो एक्सपेन्डीचर है वह एक्सपेन्डीचर मान लीजिये कि ओरीजिनल बजट में कुछ एक्सपेन्डीचर शो किया और उसको हमने एप्रूव किया। एप्रूव करेंगे तो यही कि नया एक्सपेन्डीचर प्रपोज़ कर दिया उसको एप्रूव कर दिया, एक्सपेन्डीचर है, नार्मल एक्सपेन्डीचर है, जो युजुअल एक्सपेन्डीचर है, उसको ही मंजूर किया जायगा कि अनयुज़अल एक्सपेन्डीचर को मन्जूर करेंगे और अनयुजअल एक्सपेन्डीचर मन्जूर करने का अवसर जब आयेगा जब कि अनयुजअल इन्कम आयेगी, It will be a seperate item. इसलिए मैं समझता हूं कि सब-क्लॉज़ (२) है वह सुपरफ्लुअस है, रिडन्डेन्ट है, और उसको डिलीट कर देना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सबक्लॉज़ (२) ऑफ क्लॉज़ ३५ को डिलीट करने का प्रस्ताव रखा है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह सेक्शन ३५ बजट के लिए प्रोविजन रखने के मामले का होगा। इतना सा है कि कम से कम हर संस्था, हर ऐसे ट्रस्ट बजट बनाकर और कोई प्रोविजन नहीं है सिवाय इसके कि देवस्थान कमिश्नर को इनफॉर्म करने का प्रोविजन है बजट के अन्दर कोई उनका दखल नहीं है कि इस पैसे को रखें या न रखें, यह कुछ नहीं है He has only to send a copy of the budget to the Government, all that is required under this Section is this. The Hon'ble member is of the view that the amount of rupees twelve hundred is too low and he is of the view that it should be five thousand. There is another amendment from the Hon'ble member from Pali who is of the view that it should be ten thousand. So far as the proposed amendment in sub-clause(2) is concrned, I am prepared to accept that amendment, regarding deletion of sub-clause(2). That increase of expenditure or decrease in income every time, information need not be given. Ofcourse that has to be included in the next years budget. I would not like that any trustee should be put to any trouble of unnecessary expenditure and inconvenience by submitting accounts every now and then, and I am prepared to accept the deletion of sub-clause (2). So far as sub-clause (1) is concerned the amount may be raised from 12 hundred to five or 10 housand or a higher amount. It may not be possible for us to control properly the budgets of some Trusts where the adminisration is bad or they are not properly managed. I am prepared to raise the amount from 12 hundred to three thousand.

श्री पी० के० चौधरी : Make it 36 hundred.

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't mind if the amount is raised to thirty six hundred.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३५ की सब-क्लॉज़ (१) में १२०० के बजाय ३६००) बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप विथड्रा कर लें।

प्रश्न यह है कि धारा ३५ की सब-क्लॉज़ (२) को डिलीट करना स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave to withdraw my amendment regarding five thousad.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है उन्हें उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं विथड्रा करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री डागा ने रखा है उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं नहीं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ व ३४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३३ व ३४ विधेयक के अंग बने।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ३५ को विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६ विधेयक का अंग बना।

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ ३७ व ३८, श्री लक्ष्मीचन्द ।

एक माननीय सदस्य : पेश कर दिया ।

श्री लक्ष्मीचन्द (संचोर) : आप जवाब दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ऑलरेडी कह दिया है । मैंने अर्ज़ कर दिया कि कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर की जगह पर बोर्ड रखना चाहते हैं । कमिश्नर असिस्टेन्ट कमिश्नर की जगह बोर्ड रखने का ऑल रेडी बोर्ड का प्रोविजन पास कर चुके हैं, और जिन जगहों पर बोर्ड का कन्ट्रोल होगा वह ऑलरेडी है । यह इन्सर्ट करना मुमकिन नहीं है और यह होगा भी नहीं कि हर काम के लिए बोर्ड की मीटिंग बुलायें । उसको रेडीनेस में रखना मुश्किल है । जनरल सुपरवीज़न बोर्ड का हो सकता है । मामूली डिटेल्स वगैरह के मामलात तो ऑफिसर्स देखेगें ।

श्री लक्ष्मीचन्द : I withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन आप पेश नहीं कर रहे हैं या मान लें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already moved that.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द जैन ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३७, ३८, और ३६ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ ३७, ३८ और ३६ विधेयक का अंग बने ।

क्लॉज़ ४०। श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I move that in clause 40, sub-clause (1) add the following words at the end "in keeping, with the trust deed or will." I also move that "delete sub-clauses (2) and (3). अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४० में : "On receipt of an application made under or in pursuance of section 38, the court shall make or cause to be made such inquiry into the case as it deemes necessary and pass such orders thereon as it may consider appropriate. क्योंकि इसमें 'एप्रोप्रिएट' से नेगनैस यह रह जाती है कि They may consider anything proper but if you add these words तो ज्यादा आब्जर्व होगा It will honour the intention with which trust was made. यानी ट्रस्ट में जो पैसा लोगों ने दिया है, विल जो कुछ किया है, विल किया है उसके टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के इनकीपिंग विद् होगा । इन शब्दों को नहीं जोड़ेंगे तो एक वाइड पॉवर रह जाती है कोर्ट के पास

(श्री पी. के. चौधरी)

कि कोर्ट अपने डिस्क्रीशन से चाहे जैसा फैसला दे सकती है । इसलिए मैंने यह मूव किया है ।

१२ मध्याह्न

इसलिए मैंने इसे मूव किया है । दूसरी बात जो सब–क्लॉज (२) और (३) के लिए मैंने रखी है सब-क्लॉज़ (२) में

"(2) While exercising the power under sub-section (1) the court shall, besides other powers, have power to make an order for:—

(a) removing any trustee;

(b) appointing a new trustee;

(c) declearing what portion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust,

(d) providing a scheme of management of the trust property;

(e) directing how the funds of a public trust whose original object has failed shall be spent,having due regard to the object for which the trust was created;

(f) issuing such other directions as the nuture of the case may require.

(3) any order passed ... ... High Court."

सब-क्लॉज़ (२) और (३) के डिलीशन का मैंने रखा है । जहां तक सब–क्लॉज़ (२) है उसके बाद मंत्रीजी ने अमेंडमेंट मूव किया है उसमें ट्रस्टीज़ का रिमूवल गवर्नमेंट के हाथ में रखा है । सेक्शन १५ में अमेंडमेंट है और उसके बाद नया अमेंडमेंट रिमूवल ऑफ मेम्बर्स आइटम नं० ७६ पर है :

"50. F. Removal of Members: If it appears to the State Government that the Chairman or a Member of a Committee of management constituted under this chapter has incurred any of the dis-qualifications . .

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): That is a different chapter.

श्री पी० के० चौधरी : ईवन देन मैं समझता हूँ कोर्ट ट्रस्ट के रिमूवल का ऑर्डर दे सकता है । कोर्ट इन्टरप्रेट करता है रूल्स को । अब उसमें if court declares that any member is there who has failed to work according to the trust deed.... जिनको अपोइन्टमेंट है उनका टर्म्स एण्ड कंडीशन्स के माफ नहीं होगा तो विदाउट स्पेसिफाइंग that. the court will pass order for its removal, he automatically gets removed. जहां तक अपोइन्टमेन्ट का सवाल आता है मैं समझता हूं कोर्ट को अपोइन्ट करने का अधिकार नहीं देना चाहिये । दूसरी बात इसमें मैनेजमेंट के लिए "(c) declaring what portion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust' ये सारे के सारे इस क्लॉज़ २ में फंक्शन्स रखे हैं वे सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन्स हैं जो ला कोर्ट के फंक्शन्स नहीं हैं कि इसके लिए

(श्री पी. के. चौधरी)

आॅर्डर दे। लॉ कोर्ट को यदि यह फैसला करने का अधिकार हो that is not according to trust deeed or not according to rules. उसको फैसला देने का अधिकार रहता है चाहे आप क्लॉज़ (२) में रखते हैं या नहीं, ट्रस्ट के पास Whether the money is spent according to provisions. मैनेजमेंट आॅफ दी ट्रस्ट को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं देना चाहिये। मुझे यह सब क्लॉज़ (२) अजीब सा लगता है इसलिए इसे डिलीट कर दिया जाय और बाद में जो मंशा है उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसका सब क्लॉज (सी) है उसमें एक्सपेन्डीचर बजट हैड में से किस हैड में खर्च करना चाहिये इसका भी कोर्ट फैसला दे सकता है इन्सपाइट आॅफ दिस क्लॉज़। इसका जो इन्तजाम है रिलीफ वर्क में इन्तजाम करना चाहिये। रिलीफ वर्क के लिए जो पैसा ईयर मार्क है उसको स्पेसिफिक हैड में दे दें या एन्युअल खर्च के लिए जो पैसा है उसमें से खर्च कर देंगे तो पार्ट (सी) में मेन्शन नहीं करेंगे तब भी कोर्ट दे सकता है। जहां तक इनका सवाल है ..

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री पी० के० चौधरी : तो मैं यह कह रहा था कि सब-क्लॉज (२) में जो फंक्शंस हैं ए., सी. एण्ड ई विदाउट मेन्सनिंग, कोर्ट हेज आॅटोमेटिकली गोट फंक्शंस एंड आॅथोरिटी। जहां तक (बी) एंड (डी) का सवाल है, ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं और उसके बारे में निर्णय लेकर कोर्ट विल Court will appoint a new trustee or court will give a scheme of management for the trust. कोर्ट को आर्बिट्रेरी पॉवर्स दिये जाते हैं Court functions should be only to interpret the trust deed and not to function as executive. इसलिए मैं समझता हूँ इस क्लॉज़ को डिलीट करना चाहिये। इसके बिना भी इस क्लॉज़ की जो मंशा है वह सारी पूरी होती है।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें अमेंडमेंट है कि सब-क्लॉज़ (४) को डिलीट कर दिया जाय, इसका मकसद यह है कि एक और अमेंडमेंट ४३ ए. में इन्सर्ट करने से इसकी मंशा पूरी हो जाती है इसलिए इसे डिलिट कर देना चाहिये।

दूसरा जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया है मेन क्लॉज़ ४० के सब–क्लॉज़ (२) को डिलिट कर दिया जाय इसलिए कि एग्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं इसलिए कोर्ट को नहीं दिया जाना चाहिये। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं हैं इसलिये कोर्ट फैसला दे सकता है। सब–क्लॉज़ ३८ (ए) को देखें तो "(a) the original object of the public trust has failed," कोर्ट के पास जाने की कब जरूरत पड़ती है : When the original object of the public trust has failed, or the trust property is not being properly managed or administred, or the direction of the court is necessary for the administration of the public trust, तो मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

Page No 46

श्री पी० के० चौधरी : ४० के सब-क्लॉज (१) में आ जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब भी डाइरेक्शन देने का पॉवर है। लेकिन क्योंकि हम ला बना रहे हैं इसलिए इन्सर्ट करना जरूरी है अदरवाइज सेक्शन ६२ में भी कोर्ट को पॉवर है और जो डाइरेक्शन सब-क्लॉज़ (२) में दिया है : they actually give such directions. They are never left to the executive and as a matter of fact this is very important. Directions should not be given by the executive but by the Court. कोर्ट को तय करना चाहिये इसलिए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। वे महसूस करेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इस को वापिस ले लेंगे।

श्री पी०के० चौधरी : सब क्लॉज (२).. for adding the words 'in keeping with the trust deed or will' ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary. It goes without saying. कानून बनाते वक्त वही लेंग्वेज रखनी आवश्यक है, जिसकी जरूरत हो। यहां इसकी जरूरत नहीं है 'in keeping with the trust deed or will' ट्रस्ट के इंटरप्रिटेशन का सवाल होता है, डाइरेक्शन देने का सवाल होता है the Court will first of all go into the trust deed, what was the intention of the trust deed... उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या डाइरेक्शन है all that will be looked into डीड और विल जब आप देखेंगे .... So it is not necessary.

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४० में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ४० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ४१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

(श्री पी. के. चौधरी ने अपना संशोधन पेश नहीं किया)

Page No 47

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४१ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ४२। श्री पी. के. चौधरी।

(श्री पी. के. चौधरी ने अपना संशोधन पेश नहीं किया)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४२ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ४३। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४३ विधेयक का अंग बना।

श्री अध्यक्ष : नई धारा ४३, ए।

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है कि एक नई धारा ४३.– ए एड की जाय :

"43-A. Non-application of sections 92 and 93 of the Central Act V of 1908.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908), the provisions of sections 92 and 93 of the said Code shall not apply to Hindu public trusts.

(2) If on the date of the application of this Act to any Hindu public trust any legal proceedings in respect of such trust are pending before any civil court of competent jurisdiction to which the Advocate General or the Collector exercising the power of the Advocate General is a party, the Devasthan Commissioner shall be deemed to be substituted in those proceedings for the Advocate General or the Collector, as the case may be, and such proceedings shall be disposed of by such court.

(3) Any reference to the Advocate General made in any instrument, scheme order or decree of any civil court of Competent jurisdiction made or passed, whether before or after the said date, shall be construed as a reference to the Devasthan Commissioner."

जब जनरल डिस्कशन हो रहा था, कन्सीडरेशन मोशन पर, इस बात पर काफी वादविवाद हुआ। मैंने कहा था कि मैं एक अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं और उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए यह अमेंडमेंट है। इस बिल की सारी स्कीम है, वह सेल्फ कन्टेन्ड है। सेक्शन ६२ में कोर्ट में जाने की जरूरत है, वहां डाइरेक्शन देने का आलरेडी प्रावीजन कर दिया गया है, इसमें डुप्लीकेशन न हो और ज्यादा लिटीगेशन न हो, इसलिए यह प्रावीज़न रखा है। इस प्रकार का प्रावीज़न जहां जहां एक्ट बने हैं,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वहां वहां है। सब-क्लाज़ २ में रखा है कि जो पेंडिंग केसेज़ हैं, उसके लिए देवस्थान कमिश्नर जो इस स्कीम मे हैं, उसको जनरल सुपरवीज़न इनचार्ज करने के लिए इसमें रखा हैं।

श्री अध्यक्ष : पेंडिंग केसेज़ चलेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They will be disposed of according to rules. इसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने जो नई क्लॉज़ ४३ ए रखी है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नई क्लॉज़ ४३-ए विधेयक का अंग बनी

क्लॉज़ ४४। श्री पी० के० चौधरी।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४४,...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्लॉज़ ४४ में मेरा अमेंडमेंट है।...

श्री अध्यक्ष : I called your name but you did not speak.

श्री पी० के० चौधरी : मेरा अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष : I thought you were not moving.

श्री पी० के चौधरी : No Sir, I am moving it.

श्री अध्यक्ष : हां, हां, अब बोल लीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : I move the amendment that in clause 44, insert the words 'not below the rank of an Assistant Collector' between the words 'officer' and 'as'.

The clause reads like this:-

"Where in any case an inquiry is to be made by an Assistant Commissioner under this Act, he may himself make the inquiry or forward the case for inquiry and report to any Revenue Officer not below the rank of an Assistant Collector or to such other officer, as may be, authorised by the State Government in this behalf." अब इसमें है 'to such other officer as may be authorised' हो सकता है ऑफिसर may be below the rank of an Assistant Collector.उसमें फर्स्ट को रखा है, वह रेवेन्यू ऑफिसर now below the rank of an Assistant Collector. लेकिन दूसरा जो कोई ऑफिसर आ सकता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है that he should not be below the rank of an Assistant Collector. तो मेरा जो अमेंडमेंट हैं, उसका मन्शा इतना ही है कि जहां 'such other officer' उसको भी रखे 'not below the rank of an Assistant Collector' यह रहना चाहिए। इस मकसद से अमेंडमेंट मूव किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वह इन्सर्ट करने से अच्छा यह है कि इसको डिलीट कर दिया जाय। अगर यह रखा जाय। 'not below the rank of an Asstt. Collector' that means Assistant Collector himself. That is already there. तो यह इसलिए रखा गया है कि कई जगह एक ऑफिसर होता है, जिनको असिस्टेन्ट कलेक्टर के बजाय तहसीलदार की पावर्स होती है, और जो ऑफिसर हो सकता है, वह देवस्थान डिपार्टमेंट का हो सकता है, जिनको इस प्रकार की इन्क्वायरी करने के लिए डेप्यूट किया जा सकता है the Government will definitely prescribe sufficiently responsible officer for this purpose. मगर आप जो अमेंडमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं that dose not fit in. Again I say. उसको ओमिट करने का अमेंडमेंट देते 'omit the clause' that would have been much better. असिस्टेन्ट कलेक्टर के नीचे के दर्जे के नीचे का आदमी, के यह प्रावीज़न है। जो आदमी इन्क्वायरी करने के लिए जायगा he will not be below the rank of an Assistant Collector. फिर आपने 'any other officer not below the rank of an Assistant Collector' उसमें आप चाहते हैं, that becomes meaningless.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मीनिंगलेस नहीं है, ऐसा है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर he must be a man in a certain cadre. क्लास वन ऑफिसर होता है, ऐसा रखा होता है he is a revenue officer having a particular rank in the offiical cadre मेरी जो मन्शा है वह इतनी है कि जो रखा है any other officer. So he may be an officer from Eudcation Department or from Police Department. So my intention is that such an officer also should not be below the Assistant Collector in rank and stature. His rank should be that of an Assistant Collector. यह उसकी मन्शा है, आप उसको रीकन्स्ट्रक्ट करना चाहते है तो वह कर सकते हैं my intention is that when we appoint an officer from departments other than the Revenue Deptt. रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपॉइन्ट करते हैं, उसके लिए असिस्टेन्ट कलेक्टर रखा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा करते हैं तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है what should be the minimum status of that officer... अब मैं चाहता हूं कि उस डिपार्टमेंट का जो आफिसर है he should have an equivalent post to that of an Assistant Collector.

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें जो असिस्टेन्ट कलेक्टर है, वह ऑलरेडी है, उसके नीचे को समझना ठीक नहीं है। कोई दूसरा आदमी इन्क्वायरी करेगा, यह मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि यहां ऑथोराइज्ड हुआ है, असिस्टेन्ट कमिश्नर से he cannot forward the papers to an officer of higher rank. उसका लोएस्ट ओहदा है, वह भी यहां रखा है, अब हायर रखा है, उसमें आथोराइज नहीं कर सकता he cannot authorise an officer of higher rank. यदि किसी एक ऑफिसर को प्रेसक्राइब कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं है he will send any officer. After all he will send a person who is sufficiently responsible.

श्री पी. के. चौधरी : आप रेवेन्यू इन्स्पेक्टर को भी अपोइन्ट करते हैं।

श्री दमोदरलाल व्यास : You should have that confidence in the Government. You cannot prescribe each and every item. यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए । आप कॉन्फीडेन्स रखिये, जो आफिसर भेजेंगे, ऐसा नहीं भेजेंगे कि जैसे कोई क्लर्क भेज दिया, किसी इन्स्पेक्टर को भेज दिया।

श्री पी. के. चौधरी : Why not make a class 1 officer ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंग्वेज में फिट नहीं होता है । इसलिए वापिस ले लीजिये ।

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ४४, ४५, ४६ व ४७ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ४४, ४५, ४६ व ४७ विधेयक के अंग बने ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉजेज ४८ । श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी : I move that sub-clauses (2) and (3) be deleted.

अध्यक्ष महोदय, अभी जब क्लाज ४० पास किया गया, ३८ में एप्लीकेशन देता है, उन सब बातों के लिए ३८ में कोर्ट में एप्लीकेशन देने का प्रोविजन रखा है, ट्रस्टी करेगा, ट्रस्टी नहीं करेगा तो असिस्टेन्ट कमिश्नर करेगा । तो मिसमैनेजमेंट का फैसला देने की, लौस रिकवर करने की आथोरिटी असिस्टेन्ट कमिश्नर को दे दी जाती है इसको मैं ठीक नहीं समझता । क्लॉज ४० में मैंने अमेंडमेंट मूव किया था....

श्री दामोदरलाल व्यास : What about clause 49 ? There is no inconsistency as a matter of fact. These orders of the Devasthan Commissioner will be svbject to the orders of the court under clause 49.

श्री पी. के. चौधरी : यह तो ठीक है कोर्ट में अपील की तो ठीक है पर ओरिजिनल ऑथोरिटी असिस्टेन्ट कमिश्नर को देते हैं Assistant Commissioner will pass this order.

इसमें कोई एग्रीव्ड है तो कोर्ट में आता है लेकिन इनिशियल ऑथोरिटी आप उसको दे देते हैं, ४० में आपने आॅग्यूमेंट दिया कि

(श्री पी. के. चौधरी)

ट्रस्ट का मेटर है हम इन्टरफियर नहीं करना चाहते, कोर्ट में जाना चाहिये उस दलील का यहां नेगेशन है, इस सारी बात की ऑथोरिटी असिस्टेन्ट कमिश्नर को दे दे हैं यह ठीक नहीं। प्रोविजन कोर्ट में जानेते का नहीं रखेंगे तो भी लोग हाई कोर्ट में जायेंगे और इंजक्शन लायेंगे। ३६००) रु. का रखा है, ३०० रु. माहवार होता है तो लोग कोर्ट में आना नहीं चाहेंगे। अन्नेसेसरी एक्स्पेन्डीचर लोग करना नहीं चाहते। अन्नेसेसरी एक्स्पेन्डीचर कर के लोग कोर्ट में नहीं जावेंगे। यह प्रोसीजर रखा Assistant Commissioner can apply to the court and get a decision from the court.

मेरी समझ में नहीं आता कि यह ऑथोरिटी असिस्टेन्ट कमिश्नर को क्यों देते हैं ? इसलिये मेरा सुझाव है है कि सब–क्लाज (२) और (३) को डिलीट कर दिया जाय। ४० के मातहत जो प्रोविजन है उसी के मातहत इसको डील विथ किया जाय। जिन कारणों से यह अमेंडमेंट रखा है, ३८ का हवाला दे कर, क्लॉज़ ४० में जो दिया हुआ है उनकी तरफ ध्यान दिलाते हुए उन्होंने चाहा कि असिस्टेन्ट कमिश्नर को पावर्स नहीं दिये जायं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये दोनों धाराएं बिलकुल डिफरेंट हैं। ३८ को देखेंगे तो : it says the original object of the public trust has failed, (ii) the trust property is not being properly managed or administered, or (iii) the direction of the court is necessary for the administration of the public trust.

Then the Assistant Commissioner has to determine the amount of loss caused to the public trust, and whether such loss was due to any breach of trust, mis-application or mis-conduct on the part of any person, (c) whether the trustee or any other person is responsible for such loss...all these things have to be determined after careful enquiry, and then he is not the final authority. If anyone has any objection he can get an order from a court to set aside the order of Assistant Commissioner. So the object of Sections 38 and 48 is quite different.

श्री अध्यक्ष : They don't clash.

श्री दामोदरलाल व्यास : They don't. I will therefore request the Hon'ble Member to withdraw his amendment.

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ ४८ में रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amend ment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४८ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ५०।

श्री लक्ष्मीचन्द !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५० स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५० विधेयक का अंग बना।

५०-ए से ५०-एन तक

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ये क्लॉजेज़ सर्क्युलेट हो चुकी हैं, इसलिये इनको मूव किया हुआ समझा जाय।

[संशोधन इस प्रकार है :

"Chapter IXA.

After clause 50, insert the following new chapter and clauses:-

"Chapter IX-A.

Special provisions as respects to certain Hindu Public Trusts.

50 A. Application of Chapter. (1) The provisions contained in this chapter shall apply to every Hindu Public Trust-

(a) which vests in the State Govt, or

(b) which is maintained at the expense of the State Govt., or

(c) which is managed directly by the State Govt., or

(d) which is under the superintendence of the Court of Wards, or of which.

(e) of which the gross annual income is Rs. 10,000/- or more.

(2) The State Govt. shall, as soon as may be after the commencement of this Chapter, publish in the Official Gazette a list of the Hindu Public Trusts to which this chapter applies and may by like Notification and in like manner add to or vary such list.

50B. Management of Hindu Public Trusts to which chapter applies.

(1) As from such date as the State Govt. may appoint in this behalf, the management of a Hindu Public Trusts to which this chapter applies shall, notwithstanding anything contained in any provision of this Act or in any law, custom or usage, vest in a Committee of management to be

(श्री दामोदरलाल व्यास)

constituted by the State Govt. in the manner herein-after provided and the State Govt. may appoint different dates for different Hindu Public Trusts for the purposes of this section.

(2) On or before the date fixed under sub-section (1) in respect of a Hindu Public Trust, the State Govt. shall, subject to the provision contained in section 50C, constitute by Notification in the Official Gazette a Committee of management thereof under such name as may be specified the Notification and such Committee shall be deemed to be the working trustee of the said public trust and its endowment :

Provided that, upon the combined request of the trustees of, and persons interested in several Hindu Public Trusts, representing the same religion or persuasion, the State Govt. may constitute a Committee of management for all of them, if their endowments are situated in the same city, town or locality.

(3) Every Committee of management constituted under sub-section (2) shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and may by the name specified in the Notification under sub-section (2) sue and be sued.

(4) A Committee of management shall consist of a Chairman and such even number of Members, not exceeding 10 and not less than 2, as the State Government may determine.

(5) The Chairman and Members of a Committee of management shall be appointed by the State Govenment by Notification in the Official Gazette from amongst.—

(a) trustees of Hindu Public Trusts representing the same religion or persuasion and having the same objects, and

(b) persons interested in such public trusts or in the endowments thereof or belonging to the denomination for the purpose of which or for the benefit of whom the trust was founded,

in accordance with the general wishes of the persons so interested so far as such wishes can be ascertained in the prescribed manner :

Provided that in the case of a Hindu Public Trust having a hereditary trustee, such trustee, and in the case of a math, the head thereof, shall be the Chairman of the Committee of management if he is willing to serve as such.

50C. Notice to hereditary trustee before constituting Committee.

Whenever a Committee of mana-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

gement is appointed under section 50B for a Hindu Public Trust having a hereditary trustee or for a Math, the State Govt: shall before such Constituton give notice of its intention to constitute a Committee of manage ment therefor to its hereditary trustee of the public trust or to the head of the Math as the case may be, shall consider the objections, if any, made by such hereditary trustee or head and shall hear him.

50 D. Disqualifications for membership-A person shall be disqualified for an appointment as, or for being, a member of Committee of management if he

(a) is less than 21 years of age, or

(b) has been convicted by a criminal Court of any offence involving moral turpitude, or

(c) is of unsound mind and is so declared by a competent Court, or

(d) is an undischarged insolvent, or

(e) is directly or indirectly interested in a lease or any other transaction relating to the endowment of the public trust, or

(f) is a paid servant of the Committee of management, or

(g) is found te be guilty of misconduct, or

(h) ceases to profess the religion or to belong to the religious denomination which the Hindn public trust for which the Committee is constituted represents, or

(i) is otherwise unfit.

50D. Term of Office of Committee.

(1) The Chairman and Members of a Committee of management shall hold office for a period of 5 years and shall be eligible for re-appointment :

Provided that if a person appointed as the Chairman or a Member of a Committee of management constituted for a Hindu Public Trust is the hereditary trustee of such public trust, he shall hold the office of the Chairman or a Member, as the case may be, hereditarily until removed by the State Govt. under any provision of this Act.

(2) The Chairman or a Member of a Committee of management may by writing under his hand addressed to the State Govt. resign his office as such :

Provided that such resignation shall not take effect until it has been accepted by the State Govt.

50E. Removal of Members.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

If it appears to the State Govt. that the Chairman or a Member of a Committee of management constituted under this chapter has incurred any of the dis-qualifications mentioned in sub-section (5) of section 50D, the State Govt. may, after giving such Chairman or Member. an opportunity of showing cause and after considering any cause so shown, remove him from his office and the decision of the State Govt. shall be final.

50 G. Appointmet of new Members.

The State Govt. may appoint a new Chairman or Member when the Chairman or a Member of a Committee of management :—

(a) resigns or dies, or

(b) is for a continuous period of six months absent from India without leave of the Commissioner, or

(c) leaves India for the purpose of residing abroad, or

(d) refuses to act, or

(e) is removed by the State Govt. under section 50F.

50H. Meetings of and procedure for Comittees of management-

1. A Committee of management shall meet at such intervals and follow such procedure in exercising its powers and discharging its duties and functions as may be prescribed, but the day to day proceedings and routine business shall be disposed of in accordance with regulations made by the Committee of management and approved by the State Government.

2. No act or proceeding of a Committee of management shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy amongst its Members or any defect in the Constitution there of.

501. Appointment of Sub-Committees.--A Committee of management may by resolution appoint such Sub-Committees as it may think fit and may delegate to them such powers and duties as it specifies in the resolution, and a Sub-Committee may associate with itself, generally or for any particular purposes. in such manner as may be determined by regulations, any person who is not a Member but whose assistance or advice it may desire and the person associated as aforesaid shall have the right to take part in the discussions of the Sub-Committee relevent to that purpose, but shall not have the right to vote at any meeting thereof.

50J. Duties of Committee of management.- (i) Subject to the general and special orders of the Commissioner, the duty of a Committee of management shall be to

(श्री दामोदरलाल व्यास)

manage and administer the affairs of the Hindu public Trust or Trusts for which it has been constituted and so to exercise the powers conferred and discharge the duties and functions imposed upon it by or under this Act or under any instrument of trust for the time being in force relating to such public trust as to ensure that the endowment or other property of that trust is properly maintained, controlled and administered, and the income thereof is duly applied to the objects and purposes for which it was created or intended to be administered.

(ii) In particular, without prejudice to the generality of the foregoing provision, a Committee of management shall—

(a) maintain the record containing information so far as the same may be collected, relating to the origin, income and object of the trust,

(b) prepare a budget, estimating its income and expenditure,

(c) keep separate accounts for each public Trust for which it has been constituted,

(d) ensure that the income and property of such public Trust are applied to the objects and for the purposes for which such trust was created, intended or is to be administered,

(e) superintend, control and manage all the affairs of such public Trust or Trusts and maintain the same,

(f) inspect or cause to be inspected the properties thereof,

(g) institute and defend any suits and poroceedings in a court of law relating to such Public Trust or Trusts.

(h) take measures for the recovery of lost properties of such Public Trust or Trusts,

(i) supply such returns, statistics, accounts and other information with respect thereto as the State Government may from time to hime require, and

(j) generally to do all such acts, as may be necessary for the proper control, maintenance and administration of such Public Trust or Trusts calculated to be conducive to the stability and well being there of, with due regard to the objects and purposes under-lying the foundation there of or the creation of the endowments pertaining there to the and also with due regard to the wishes of the person or persons who founded or created the public Trust or Trusts.

Explanation :-The maintenance of a Hindu public trust shall include-

(i) the removing thereof in accordance with the trust of the religion or persuasion represented by

(श्री दामोदरलाल व्यास)

the public trust and with due regard to the objects and purposes underlying the foundation thereof or the creation of the endowments pertaining thereto and also with due regard to the wishes, so far as they may be ascertained, of the person or persons who founded the said trust and created the endowments pertaining thereto,

(ii) the day to day ad ministration of the properties and endowments of such public trust,

(iii) the payment of dues and debts, if any, outstanding against such public trust, and

(iv) the payment of allowances determined under sub-section,

(2) of section 50-N

50-K. Power of Commissioner to require duties of Committees to be performed and to direct expenses in respect thereof to be paid from fund of Committee–

The Commissioner may, with the previous sanction of the State Government, provide for the performance of any duty which a Committee of management is bound to perfrom under the provisions of this Act or the rules or directions made or givien thereunder and may direct that the expenses of the performance of such duties shall be paid by the person having for the time being the custody of any fund belonging to the Hindu Public Trust or Trusts for which the Committee has been constituted from out of such fund.

50-L. Power to supersede a Committee–(1) If the State Government is of the opinion that a Committee of management is unable to perform or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or any other law for the time being in force or has exceeded or abused its powers, the State Government may, by notification in the official Gazette, supersede the Committee for such period as may be sperci-fied in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section the State Government shall give a reasonable opportunity to the Committee of management to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objections, if any, of such committee.

(2) Upon the publication of a Notification under snb-section (1) superseding a Committee of management the Chairman and all the Members of such Committee shall, as from the date of supersession, vacate their offices, and all the powers and duties which may, by or under the provisions of this Act or any other law for the time being in force, be

exercised or performed by or on behalf of the Committee of management shall, during the period of supersession be exercised by such person or persons, as the State Government having regard to the provisions of section 50 may direct.

(3) The period of supersession specified in the order under sub-section (1) may be extended by the State Government from time to time by notification in the official Gazette.

(4) In calculating the period of supersession specified under sub-section (1) or extended under sub-sec. (3), the period spent in the prosecution and disposal of any petition or proceeding challenging in any court the validity of the order of supersession shall be excluded.

(5) On or before the expiration of the period or extended period of supersession, the State Govt. shall reconstitute the Committee in the manner provided in section 50B.

50-M. Power to make regulations.—

1. The Committee may, with the approval of the State Govt., make regulations not inconsistent with this Act or the rules made thereunder for carrying out its functions under this Act.

2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision such regulations may provide for all or any of the following matters:--

(i) the disposal of day to day proceedings and reutine business.

(ii) the employment of officers and staff necessary for the performace of the duties and functions of the committee of management,

(iii) the terms and conditions of their employment, and

(iv) the manner in which any person who is not a Member of the Committee may be associated with any Sub-Committee constituted under section 501.I.

50-N. Rights of hereditary trustees.–

1. Nothing contained in this Act shall affect the rights of a hereditary trustee, if any, of a Hindu Public Trust to which this Chapter applies—

(a) to reside in any building belonging to such Public Trust, or

(b) to use any such building for the purpose of such Public Trust, or

(c) to receive bhents, nazars and offerings made personally to him,

Page No 59

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(d) to receive out of the income of the Public Trust the allowance fixed under sub-sec. (2), or

(e) to participate in the performance of the worship or service of such Public Trust or the performance of any rite therein or of any ceremony in connection therewith in accordance with the custom or practice of such Public Trust.

2. The State Govt. shall determine and fix the amount of allowance payble to the hereditary trustee of a Hindu Public Trust to which this chapter applies out of the income of such Public Trust after taking into consideration the status of such trustee, the gross income of the Public Trust and other prescribed particulars.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि एक नया चेप्टर ५० ए. से ५० एन तक रखने का संशोधन रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ५२। श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५२ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ५३ और ५४।

प्रश्न यह है कि क्लॉजिज ५३ और ५४ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉजिज ५३ और ५४ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज ५५। आपका संशोधन है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): जी हां। For sub-clause (1) substitute the following:—

"(1) Whoever contravenes any provision of subjsection (1) of section 17 or of sub-section (1) of Section 23 or of Sec. 27 or of Sec. 30 or of sub-sections (2) and (3) of sec. 51 shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees."

अध्यक्ष महोदय क्लॉज ५५ में कुछ पेनल्टीज़ दर्ज हैं। जैसा कि मैंने जनरल डिसकशन के वख्त कहा था कि सजाएं बहुत कम रखी गईं हैं, इसके लिये आवश्यक है कि सजाएं बढ़ाई जाएं। जब तक डेटेरेंट पनिशमेंट नहीं होगा तब तक गड़बड़ी को रोक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं सकेंगे इसलिये यह स्पेसिफाइड कर दिया है कि सजा ५०० रुपया रख दी गई है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन यह है : Substitute 'one thousand rupes with six months imprisonment' for five hundred rupees.'

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मानते हैं कि इस प्रकार का दण्ड कम है तो आर्थिक दण्ड के साथ साथ शारीरिक दण्ड भी आवश्यक है अत: मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

वापिस ले लीजिये स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इम्प्रीजनमेंट का तो स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ भी असर नहीं होगा, ट्रस्टीज़ बड़ी से बड़ी रकम गबन कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : गबन की सजा अलग मिलेगी। यह तो जो मेन्डेटरीज ड्यूटीज़ रखी हैं, रजिस्ट्रेशन, furnishing some information and so many other things...

इसकी सजा है। कोई गबन, मिसएप्रोप्रियेशन करेगा उसमें अलग सज़ा देंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक गुनाह करेंगे उनको सज़ा मिलेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने क्लॉज़ ५५ पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ५५ स्वीकार की जावे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक कोरम पूरा न हो इसको पास करना और वोट पर रखना अनकॉंस्टिट्युशनल होगा।

Page No 61

१२. ३२ म. प.

(श्री निरजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ५५ स्वीकार की जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५६, ५७, ५८ और ५६ स्वीकार की जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५६, ५७, ५८ और ५६ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ६०।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६० स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६० स्वीकार की गई।

क्लॉज़ ६१.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६१ स्वीकार की जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ६२

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६२ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बना—

क्लॉज़ ६२-ए से ६२-सी तक

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एमेन्डमेंट क्यूसरलेट हो चुका है इसलिये इसको मूव समझा जावे।

[संशोधन इस प्रकार है :

After clause 62 insert the following new clauses:—

"62 A. Rajasthan Act of 1956 not affected.

Nothing in this Act shall in any way affect or prejudice the provisions of the Nathdwara Temple Act 1959 (Rajasthan Act of 1959).

(श्री दामोदरलाल)

62B. Power to remove difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State may, as occasion may require, by order, give such directions not in-consistent with such provisions which appear to it to be necessry for the purpose of removing the difficulty."

Add the following new clause:—

102. "62 C. Act not to apply to muslim wakfs.

Nothing in this Act shall apply to Muslim wakfs governed and regwlated by the Muslim wakfs Act, 1954 (Central Act of 1954)."]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६२-ए, ६२-बी, ६२-सी, स्वीकार की जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६२-ए, ६२-बी, और ६२-सी, स्वीकार किये गये ।

क्लॉज़ ६३.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६३ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६३ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ ६४

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकूलेट हो चुका है, इसको मूव मान लिया जावे ।

[संशोधन इस प्रकार है :

Insertion of new clause after clause 63:—

After clause 63, the following new clause may be inserted:—

"64. Amendment of Rajasthan Act 6 of 1952.

As from the date on which a Committee of management is constituted for a Hindu Public Trust under sec. 50B, clause 7 of the 2nd Schedule to the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952. (Rajasthan Act 6 of 1952) shall in relation to that Public Trust have effect as it, for the words 'to the person, who is or may hereafter be recognised in accordance with law as being charged for the time being with the duty of maintenance of such institution or place of worship or the performance of such service', the words 'to the Committee of management constituted for it under sec. 50B of the Rajasthan Hindu Public Trust Act, 1959' were sudstituted.]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६४ स्वीकार की जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६४ स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ १.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुर सिंह ।

Page No 63

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह जो क्लॉज़ है उसमें (६) है उसमें से ये शब्द निकाल दिये जावें : "and the State Government may, having regard to the population of different cities and towns, specify different dates for the application of Chapter X of this Act thereto." माननीय उपाध्यक्ष, यह सारा विधेयक है इस वक्त एक्ट बनेगा और धर्मादे की व्यवस्था है वह विभिन्न शहरों में विभिन्न तारीखों में लागू होगी ।

मैंने पिछली दफे बताया कि धर्मादे की व्यवस्था हमारे शहर में है और वहां पर कितना दुरूपयोग होता है और जहां पर दुरूपयोग होता है वहां पर यह लागू होगा और जहां पर दुरूपयोग नहीं होता तो यह एक्ट लागू नहीं होता । मैं समझता हूँ कि इसको सभी जगह एक साथ लागू किया जावे । मैं यह समझता हूँ कि १४५ म्युनिसिपैलिटीज हैं जो इसके अन्तर्गत आती हैं । इसलिए १४५ म्युनिसिपैलिटीज के स्थान हैं वहां पर तो राज्य सरकार को लागू करना ही चाहिए, जहां, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकती है । आप कमेटी बनावेंगे । चैप्टर १० के लिए आप तारीख निश्चित कर दें । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस एक्ट की मंशा पूरी नहीं होगी । मैं समझता हूं कि जो शब्द निकालने के लिये मैंने निवेदन किया है वह उचित है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसी बात है ?

डॉ॰ बहादुरसिंह : डिफरेन्ट डेट्स का हिस्सा है उसको निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सब-क्लॉज (२) में amendment by the hon. Member. "except the Abu area' may be deleted.

डॉ॰ बहादुरसिंह : सब-क्लॉज ६ में है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका जो यह एमेंडमेंट है इसका मैं विरोध करता हूं । वह इसलिए कि सारी इन्फार्मेशन सरकार को अलग अलग जगह से अपनी मशीनरी द्वारा उपलब्ध करनी होगी उसके अलावा सारी मशीनरी को सेट-अप करना होगा । इलेक्शन की मशीनरी होगी । इसलिए यह कहना कि सब जगह हो जावे यह तो उचित नहीं है । मैं यह समझता हूं कि यह बात आपको गवर्नमेंट पर छोड़नी चाहिये और आपको गवर्नमेंट पर विश्वास होना चाहिये । जहां पर बदइन्तजामी होगी सरकार फौरन इन्तजाम करने के लिए आवेगी और हमेशा आती रही है । इसलिये यह जो संशोधन है इसको आप वापिस ले लें । दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सब-क्लॉज (२) है उसमें जो आपका एमेंडमेंट है वह मुझे एक्सेप्टेबल है । वह मूव नहीं हुआ है । गवर्नमेंट आफ इन्डिया से परमिशन आ गई है और उसको हम लागू कर सकते हैं । यह रीआर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में था । इसको सब क्लॉज (२) में लागू दिया जावे । Sub-clause (2) will read "It extends to the whole of the State of Rajasthan." The words "except the Abu area" may be deleted.

डॉ॰ बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ ।

Page No 64

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ शोर्ट, टाइटल, एक्सटेन्ट और कमेन्समेंट आदि संशोधित रूप में स्वीकार किया जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ शोर्ट, टाइटल आदि स्वीकार किया गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ८ बजे तक के लिये स्थगित।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२. ४० बजे मंगलवार, दिनांक ५ मई, १६५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ४ मई १९५९)

Page No 66

प्रवर समिति के प्रस्ताव पर राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को १८ मई, १६५६ तक और बढ़ा दिया गया।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८।

उपरोक्त विधेयक पर खण्ड ३१ से विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ३१, ३५, ४०, ५५ एवं खण्ड १ संशोधित रुप में स्वीकृत हुए।

खण्ड ३२ से ३४, ३६ से ३६, ४१ से ५४ एवं ५६ से ६३ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ४३ ए, ५० ए से ५० एन, ६२ए से ६२सी तथा खण्ड ६४ नये जोड़े गये।

तत्पश्चात् राजस्व मंत्री ने विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मंगलवार दिनांक ५ मई, ५६ की कार्य-सूची।

१. राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५६ सरकारी संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६१ का उत्तर देखिये)

क्रम सं.	नाम माह	किस्म बिल	रकम	कोष से रकम ड्रा करवाने वाले का नाम	नाम अध्यापक जिसे रकम वितरण की गई
१	अक्टूबर नवम्बर ५४,	पूरक बिल	२०८ रु०	श्री भैरुलाल	श्री भंवरलाल
२	१०–१०–५४ से ३१–३–५५	,,	१२ रु०	श्री भैरुलाल	श्री धूली लाल
३	२१–१०–५४ से ३०–४–५५	,,	६ रु० ५ आ.	,, ,, ,,	श्री भंवरलाल
४	१८–६–५२ से २१–६–५३	,,	१२ रु. ६ आ.	श्री कन्हैयालाल	श्री भंवरलाल
५.	नव० ५५ से फर० ५६	,,	३८० रु.	,, ,,	श्री मथुरालाल
६	अप्रेल ५६	,,	४ रु.	,, ,,	श्री मथुरालाल

१	२	३	४	५	६
७	५–१०–५५ से ३१–३–५६	,,	४ रु. ५ आ.	,, ,,	श्री भंवरलाल
८	२१–६–५६ से ३०–६–५६	,,	२० रु.	श्री गफार बक्श	श्री राधेश्याम
६	१–११–५५ से ३१–३–५६	,,	२५ रु.	,, ,, ,,	श्री रामनारायण
१०	फरवरी ५७	टी० ए०	६२ रु.	,, ,, ,,	श्री बशीरमहम्मद ६ रु. श्री मोहनलाल ६ रु.
११	फरवरी ५७	,,	४१ रु. १ आना ६ पाई	श्री ,, ,,	श्री बशीर मोहम्मद १३ रु. ११ श्री धूलीलाल ,, ,,
१२	मार्च ५७	,,	५२ रु. १४ आ.	श्री ,, ,,	श्री बशीर मोहम्मद १३–३–६ श्री धूली लाल १३–३–६ श्री मांगी लाल ,, ,, ,, श्री भैरु लाल ,, ,, ,,

१	२	३	४	५	६
१३	फरवरी ५७	,,	१६रु. ११ आ.	श्री ,, ,,	श्री भैरु लाल
१४	६–५–५७ से ३०–११–५७	पूरक बिल	१०२. ५८ न०	,, ,, ,,	श्री बशीर मोहम्मद
१५	२–४–५६ से ३०–११–५६	,,	४५. ३३ न०	,, ,, ,,	श्री रामनारायण
१६	२–७–५७ से ३१–१–५८	,,	६. ६७ न०	,, ,, ,,	श्री मोहनलाल
१७	अगस्त ५७	टी. ए०	१४. ५० न०	,, ,, ,,	श्री बजरंगलाल
१८	१०–८–५७ से ३१–१–५८	पूरक बिल	५७. ७१ न०	,, ,, ,,	श्री धूलीलाल
१९	४–४–५७ से २–९–५७	,,	२३. ४२ न०	,, ,, ,,	श्री भंवरलाल ६. ५० न श्री राधेश्याम १६. ९२
२०	३१–९–५७ से ३१–२–५८	,,	६. २३ न०	,, ,, ,,	श्री राधेश्याम

१	२	३	४	५	६
२१	१०–६–५७ से २८–६–५७	,,	२३. ७४ न०	,, ,, ,,	श्री बजरंगलाल
२२	१–३–५८ से ३०–६–५८	,,	४ रु.	श्री दीनानाथ	श्री गोपी बल्लभ
२३	११–७–५७ से ३–८–५८	,,	१. ६८ न० पै.	श्री दीनानाथ	श्री मांगीलाल
२४	१–३–५६ से ३१–१२–५६	,,	१६७. ५३ न०	श्री गफुर बख्स	श्री गोपीराम ११२ रु. श्री भंवरलाल ५५. ३३ न०
२५	१–१०–५६ से ३१–११–५६	,,	६६ रु.	,, ,, ,,	श्री शिवप्रसाद

क्रम सं०	नाम अध्यापक जिसने याद दानी की है।	विवरण बिल	किस तारीख का याद दानी की गई	विवरण
१	श्री भंवरलाल शर्मा	१ जुलाई ५२ से १३ जुलाई ५२ तक	२१–१–५४	बिल पास किया जा चुका है
२	श्री मथुरालाल शर्मा	पूरक बिल मास अग० ५४	१४–३–५५	रकम प्राप्त की जा चुकी है
३	श्री धूली लाल	पूरक बिल मास अग० ५४	३–४–५५	प्री ऑडिट के लिये भेजा गया है
			२४–७–५५	
			१३–६–५५	
४	श्री भवंरलाल	पूरक बिल ५१ रु.	७–१–५६	पास किया जा चुका है
			७–२–५६	
			२०–३–५६	
			१७–५–५६	
५	श्री मथुरालाल	याता व्यय बिल	१६–७–५६	,, ,, ,,
			१–६–५६	
६	श्री धूलीलाल	पूरक बिल नवम्बर ५६. ४रु. १८ रु	११–११–५७	,, ,, ,,
		टी. ए. बिल अप्रेल ५४	२६–८–५८	
			११–३–५७	
			२६–८–५८	

१	२	३	४	५
७	श्री धूलीलाल	टी. ए. बिल अप्रेल ५४	११–३–५७	,, ,, ,,
			२६–८–५८	
८	श्री भैरुलाल	पूरक बिल १–७–५५	१–७–५७	प्री ऑडिट के लिये भेजा है
		१–७–५६	१४–६–५७	,, ,, ,,
			८–१–५८	
			२६–२–५८	
९	श्री शिवप्रसाद	पूरक बिल ६६ रु.	१–७–५७	,, ,, ,,
१०	श्री बशीर मोहम्मद	टी. ए. बिल २६–११–५६	३–७–५८	बजट न होने से पेंडिंग है
		प्रस्तुत किया।	७–८–५८	
			७–१०–५८	
११	श्री बजंरगलाल	टी. ए. बिल १७ रु.	९–९–५७	पास हो चुका है।
		५० न. पै.	९–१–५८	,, ,, ,,
१२	श्री भैरुलाल	टी. ए. बिल इलेक्शन	८–१–५८	,, ,, ,,
		१६ रु. ११ आना	५–९–५७	,, ,, ,,

१	२	३	४	५
१३	श्री ब्रजरंगालाल	पूरक बिल २३. ७४ न०	२५–४–५८	,, ,, ,,
			२४–७–५८	,, ,, ,,
			२–६–५८	,, ,, ,,
१४	श्री मांगीलाल	पूरक बिल ४५. ६८ न.	३–७–५८	,, ,, ,,
१५	श्री बशीरमोहम्मद	पूरक बिल ३६० रु.	७–८–५८	एतराज से केन्द्र सानपुर भेजा
			७–१०–५८	गया है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.
(Appointments (c) Department)
CIRCULAR.

No. F. 5 (29) Apptt (c)/56. Dated 30th June, 1956.

Subject:-Post-merger employees-confirmation of.

Some instructions were issued in the past about the completion of the remaining items of the integration work relating to the Subordinate and Ministerial Services. In this connection attention is particularly invited to this Department Circulars No. F. 5 (2) Apptts. (C)/56. dated 4-2-56 and 21-3-56 which dealt with the question of safeguarding the interests of unabsorbed surpluses and of those employees who were absorbed on an ad hoc or temporary basis. The Surplus employees have now been absorbed to the extent possible and the work of "integrating the premerger employees (permanent and temporary) belonging to the Subordinate and Ministerial services has also made, considerable progress. A stage has been reached when the cases of postmerger employees can be taken up for permanent appointment. As was explained in the earlier Circulars, these cases could not be considered so far because the integration work had not been completed and a large number of surplus employees of the late Customs and Civil Supplies Departments had not been absorbed. The following instructions are now issued for the making of substantive appointments of post merger employees belonging to the Subordinate and Ministerial Services :

(i) Selection for permanent appointment should be made only in respect of permanent posts after the selection of premerger employees (whether permanent or temporary) has been made and finalised as a course of integration.

(ii) Selection to posts included in the Subordinate Service (Schedule II to the C. C. A. Rules) is within the purview of the Rajasthan Public Service Commission. Any appointments that have been made otherwise than with the approval of the Commission are irregular and can only be treated as temporary or adhoc.

Even those employees who have been "absorbed" on an adhoc basis on Surbordinate Service posts should not be deemed to have been permanently appointed to those posts and cases of all such employees should be referred to the Service Commission according to the Rules.

(iii) These Subordinate Service employees who have been appointed with the approval of the Public Service Commission may be confirmed in their present posts if the following conditions are fulfilled :

(1) The post in question is a permanent post.

(2) The selection made by the Commission is not on a provisional or temporary basis.

(3) The Government servant has put in atleast 3 years approved service on 1-4-56 on the post.

(iv) In cases in which officiating, adhoc or temporary appointments have been made to higher posts in the Subordinate Service, substantive appointments should be made only in accordance with the procedure prescribed in the appropriate Service Rules. In the case of departments for which such Rules have not been framed, confirmation should not be made until the appointment has been approved by the Service Commission.

(v) Those Ministerial employees who have put in atleast 3 years service on 1-4-56 to the satisfaction of the appointing authority, and who possess the necessary minimum qualifications for the posts in question, may be confirmed.

(vi) The cases of employees for whom service rules have been promulgated should be governed by those rules but their appointments should not be made substantive until they have put in 3 years of approved service.

(vii) If the number of posts is less than the number of employees who are eligible for confirmation in accordance with the above instructions, those of the employees who have put in a longer period of approved service should be selected in preference to those with lesser service.

(viii) The seniority of those Governrment servants who are eligible for confirmation in accordance with the above instructions should be fixed next after the last premerger employees on the concerned posts or cadre. The inter-seniority of postmerger employees belonging to the same cadre or holding the same type of posts should be determined on the basis of total length of service on the cadre or posts in question.

Chief Secretary to Govt.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३४७ का उत्तर दीजिये)

APPENDIX 'A'

Fixation not made in Rationalised Pay Scales.

S. No.		Name	Designation.	Reasons.
1	Shri	Sarju Narain.	L. D. C.	In general reasones for non-fixation inter-alia are non completion of service book, non-fixation in unified pay scales in Civil supplies Deptt etc.
2	,,	Rama Kant Sharma.	L. D. C.	-do-
3	,,	Mohasus Ali.	L. D. C.	-do-
4	,,	Jogendra Pal Singh.	Godown Officer, Marketing Inspector.	-do-
5	,,	Narain Singh Rathore.	L. D. C.	-do-
6	,,	Chandnamal Bohra.		-do-
7	,,	Durga Shanker.	L. D. C.	-do-
8	,,	Bansider.	L. D. C.	-do-
9	,,	Badan Singh.	Peon	-do-
10	,,	Lalit Kishore	U. D. C.	-do-
11	,,	Baij Nath.	L. D. C.	-do-
12	,,	Udai kishan Vyas.	Assit. Inspector	-do-
13	,,	Vishnu Datt.	L. D. C.	-do-
14	,,	Umraomal.	Enforcement Inspector	-do-
15	,,	Udai Singh.	Chowkidar.	-do-
16	,,	Krishana Prakash Mukerji.	L. D. C.	-do-
17	,,	Bhagwatilal.	L. D. C.	-do-
18	,,	Bhanwarlal.	Chowkidar.	-do-
19	,,	Devi Kishan Munshi.	L. D. C.	-do-
20	,,	Janki Nath Kaul	U. D. C.	-do-

Page No 77

21	Shri	Hari Vallabh Bamb	Marketing Inspector.	-do-
22	,,	Roop Narain Purohit	L. D. C.	-do-
23	,,	Roop Narain	Peon	-do-
24	,,	Shiv Nath Mal.	Storekeeper.	-do-
25	,,	Bhanwarlal.	L. D. C.	-do-
26	,,	Roshanlal Katyani.	L. D. C.	-do-
27	,,	Ganpatilal Mathur.	Inspector	-do-
28	,,	Bal Kishan Vyas.	U. D. C.	-do-
29	,,	Bhanwarlal Bumb.	L. D. C.	-do-

ANEXURE 'B'

Fixation not made in Unified pay scales.

S. N.		Name	Designation	Remarks.
1	Shri	Sarju Narain.	L. D. C.	In general reasons for non fixation inter-alia a re-non completion of service book, non fixation inUnifeid pay Scales in Civil supplies Department etc.
2	,,	Ramakant Sharma.	L. D. C.	-do-
3	,,	Devi Singh Munshi.	L. D. C.	-do-
4	,,	Narain Singh Rathore	L. D. C.	-do-
5	,,	Chandmal Bohra	L. D. C.	-do-
6	,,	Durga Shanker	U. D. C.	-do-
7	,,	Vishnu Dutt	L. D. C.	-do-
8	,,	Umraomal	Enforcement Inspector	-do-
9	,,	Kishan Prakash Mukerji	L. D. C.	-do-
10	,,	Bhagawati Lal	L. D. C.	-do-
11	,,	Bal kishan Vyas.	U. D. C.	-do-
12	,,	Bhawarlal Sewak,	L. D. C.	-do-

SUPPPLEMENTARY BY NOTE TO ASSEMBLY QUESTION No. 30/C.M.

A list of 393 surplus hands was sent this Directorate iclnuding Gazetted and Non-Gazetted Officers of the Civil Supplies Department, out of which 165 persons of the Ministerial staff and Class IV servants were absorbed in this Department up to 1-1-56. 58 persons (Ministerial and Class IV) were absorbed later in the last week of April, 1956, i, e, after 1-1-56. The rest ot the staff including Gazetted and non-Gazetted Officers were absorbed by the absorption Committee appointed by the Government.

Out of the staff absorbed by this Department 11 persons have been confirmed so for. This Office is not aware whether other Departments confirmed these snrplus hands from tne date of absorption or from the date of appointment. Since it was not clear whether the posts sanctioned for supply work in this Directorate as in Collectorates and Tehsils etc. were permanent or temporary a refernnce has been made which is under the consideration of the Government.

The Ministerial staff absorbed by the Direct orate have been posted on equivalent posts except a few mentioned in the list eaclosed who were found not eligible for these posts. As for the sfaff absorbed by the "Absorption ed Committee" a reference may be made to the concerned authorities."

ANNEXURE 'C'

LIST.

S. No.	Name of incumbent.	Post: Post held in Givil supplies Deptt	Post on which absorbed.	Dt. of absorp-tion.	Dt. of Apptts.	Pay: Old pay.	Pay: Present Pay	Dt. of confirmation	Remarks.
1.	Shri Sarju Narain.	U. D. C.	L. D. C.	3. 1.56	15. 6. 46	90/-	90/-		For not found eligible for fixation as U.D.C.
2.	„ Hardeo Prasad	U. D. C.	L. D. C.	3. 1. 56	19. 8. 46	—	—	1. 1. 56	He has now been promoted as U. D. C.
3.	„ Abdul Gafoor	U. D. C.	L. D. C.	28. 1. 56	15. 10. 41	—	—		For not found eligible for fixation as U. D. C.
4.	„ V. N. Rana.	U. D. C.	L. D. C.	3. 1. 56	18. 3. 48	115/-	115/-	1. 1. 56	He has now been promoted as U. D. C.
5.	„ Ram Gopal.	U. D. C.	L. D. C.	28. 1. 56	1. 4. 46	—	—	1. 1. 56	For not found eligible for fixation as U.DC.
6.	„ Dhanpat Tiwari.	U. D. C.	L. D. C.	28. 1. 56	22. 11. 48	—	—		—do—

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३४८ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD JAIPUR.

(Disbursement of funds in Leather Industry for the year 1955-56,56-57, 57-58 & 58-59) upto 28th Fabruary, 1959,

S. N.	Name of the Institution & Sacieties etc.	District	Division	Loan	Sub.	Total	Remerks.
1	Khora Regran Sah, Smt. Ltd. Khora.	Jaipur	Ajmer	9, 720	8,750	18,500	
2	Gromothan, Jaipur	,,	,,	13, 220	10,500	23,720	
3	Saila Brahat Bahudhandhi Sah. Smt I. Saila.	Jalore	Jodhpur	3, 720	4,500	8,220	(720 recd backp)
4	Harijan Tanners Coop,Sol. Hindon.	S. Madhopur	Ajmer	3,720	3,000	6,720	
5	Balimiki Bahudhandhi Sah. Sat. Jodhpur.	Jodhpur	Jodhpur	3,720	3,720	6,720	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bhandpura Bahudhandhi Sah. Smt. L. Bhandpura.	S. Madhopur	Ajmer 3, 720	3,720	3,000	6,720	
7	Kundanpura Regran Sah. Smt. Kundanpura.	Jaipur	,,	-	1,000	1,000	
8	Hadoti Khadi Gramodyog Sangh, Baran.	Kota	Kota	15,620	12,400	28,020	
9	Nainva Chamran Sah. Smt. Ltd. Bundi.	Bundi	,,	3,720	3,000	6,720	
10	Rajasthan Khadi Sangh, Chomu.	Jaipur	Ajmer	13,220	10,500	23,720	(Rs.22,620.,,)
11	Block Development Officer, Sambhar.	Jaipur	,,	—	2,700	2,700	
12	Rajasthan Go seva Sangh Jaipur.	,,	,,	3,720	3,000	6,720	
13	Shri Ganga Charm Utp. S.S. L. Bisalpur.	Pali	Jodhpur	3720	3,000	6,720	
14	Mohanpura Charm Udyog Sah. Smt. Bassi.	Jaipur	Ajmer	-	1,000	1,000	

1	2	3	4	5	6	7
15	Charm Udyog Sh. Smt. L. Bayana.	Bharatpur	,,	2400	3,200	5,600
16	Delwara Regan Industrial Coop. So. Beawar.	Ajmer	,,	3,000	3,400	6400
17	Charm Udyog Sah. Smt. Ltd. Kauroli.	S. Madhopur	,,	3,720	3,400	7,120
18	Rural Arts & Crafts, Sumerpur.	Pali	Jodhpur	-	200	200
19	Training Cum Production Centre Sanganer.	Jaipur	Ajmer	26,470	33,019.18	59,489 18
20	Gram Seva Mandal, Kishorepura	Jhunjhunu	,,	3,720	4,000	7,720
21	Sarvajanik Brahot Bahudhandhi Sah. Smt. Badliyas	Bhilwara	Udaipur	13,470	18,350	31,820
22	Khadi Gramodyog Emporium, Jaipur.	Jaipur	Ajmer	25,000	22,000	47,000
23	The Community project officer, Amet	Udaipur	Udaipur	-	500	500
24	,, ,, ,, Sankara	Jaisulmer	Jodhpur	—	1,000	1,000
25	Nav Nirman Sangh, Udaipur	Udaipur	Udaipur	—	3,100	3,100
26	Hadi Utpadak Sah. Smt. Banskho	Jaipur	Ajmer	—	3,000	3,000

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Vimukat Jati Multipurpose Coop. Society, Ajmer	Ajmer	,,	3,000	3,000	6,000	
28	Bahudhandhi Sah. Smt. Ltd. Kotkasim.	Alwar	,,	3,720	4,000	7,720	
29	Simalwara Bahudhandhi Sah. Smt. Ltd. Simalwara.	Dungarpur	Udaipur	3,720	3,550	7,270	
30	Churu Chamda Utpadak Sah. Smt. Ltd. Churu.	Churu	Bikaner	3,000	3,000	6,000	
31	Barmer Chamda Rangai Utp. Sah. Smt. L. Barmer.	Barmer	Jodhpur	24,750	14,000	38,750	
32	Tatera Bahudhandhi Sah. Smt. L. Tatera.	Jaipur	Ajmer	250	750	1,000	
33	Begol Bahudhandhi Sah. Smt. L. Begol	Udaipur	Udaipur	—	1,000	1,000	
34	The Tehsildar. Deeg	Bharatpur	Ajmer	—	500	500	
35	Bhanwar Lal, Nawan.	Nagaur	Jodhpur	—	100	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Charm Utp. Sah. Smt. Giland.	Udaipur	Udaipur	—	800	800	
37	Barwara Un Khal Utp. Sah. Smt. Barwara.	Jaipur	Jaipur	—	1,550	1,550	
38	Kotharia Charm Utp. Sah. Smt. Kotaria Nathdwara.	Udaipur	Udaipur	—	500	500	
39	Soyal Charm Utp. Sah. Smt. L. Soyal, Osiyan.	Jodhpur	Jodhpur	—	250	250	
40	Bhinai Regran Cooperative Multipurpose So.	Ajmer	Ajmer	3,720	3,000	6,720	
41	Tantoti Charm Udhog Sah. Smt. L. Tantoti, Kokri.	Ajmer	,,	—	1,000	1,000	
42	Jan Sevak Bahudhandhi Sah. Smt. Mohi, Kankroli.	Udaipur	Udaipur	2,150	1,150	3,300	
43	Adim Jati Gramodyog Sangh, Udaipur	,,	,,	—	6,100	6,100	
44	LoniyaPura Chamda & Haddi Utp. S. S. L. Loniyapura.	Sirohi.	Jodhpur	—	2,000	2,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Bhankri Charm Udhog S. S. L., Langra, Karoli.	S. Madhopur	Ajmer	2,150	1,150	3,300	
46	Rata Kot Charm Udhog S. S. L. Rata Kot, Bhinai	Ajmer	"	—	1,000	1,000	
47	Boda Charm Utp. S. S. K. Beda.	Pali	Jodhpur	—	1,000	1,000	
48	Sri Ganeah Utp. Sah. Smt. L. Sojat Road	"	"	—	500	500	
49	Mohi Charm Udhog Sah. Smt. L. Mohi.	Udaipur	Udapiur	—	1,000	1,000	
50	Charm Utp. S. S. L. Kushalgarh.	Banswara.	Banswara.	—	2,000	2,000	
51	Kesharpura Charm Udhog Sah. Smt. L. Kesharpura.	Ajmer	Ajmer	—	1,000	1,000	
52	Charm Udhog Sah. Smt. L. Rajnagar.	Udaipur	Udaipur	—	500	500	
53	Ganga Niwas Charm Utp. S. S. L. Jobner.	Jaipur	Ajmer	18,720	7,000	25,720	
54	Badranan Harihar S. S. L., Jarore.	Udaipur	Udaipur	—	1,000	1,000	

1	2	3	4		5	6
55	Mawli Charm Utp. S. S. L. Mawli.	Udaipur	Udaipur	—	1,000	1,000
56	Regar Charm Utp. Sah. Smt. L. Chirawa.	Jhunjhunum	Ajmer	—	1,500	1,500
57	Gudli Charm Utp. S. S. L.Gudli.	Udaipur	Udaipur	—	1,150	1,150
58	Vilwada Charm Utp. S. S. L. Pimdwara.	Sirohi.	Jodhpur	—	1,600	1,600
59	Chirawa Un & Khal Utp. S. S.	Jhunjhunun	Ajmer	—	2,000	2,000
60	Ratan Chamda Utp. S. S. L. Ratangarh.	Chru	Bikaner.	3,720	3,000	6,720
61	Bajran Un & Charm Utp. S. S. L. Sambharlek.	Jaipur	Ajmer	—	1,500	1,500
62	Kaku Chamda Utp. S. S. O. Nokha Mandhi.	Bikaner	Bikaner.	—	1,000	1,000
63	Badi akha Chamda Utp. S. S. L. Banswara.	Banswara.	Udaipur	—	1,000	1,000
64	Baway Cha Leather works & Tanners Ind. S. L. Bawaycha.	Ajmer	Ajmer	—	8,250	8,250

Page No 88

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Shri Jawahar Charm Utp. S. S. L. Chon chodi.	Pali	Jodhpur	—	1,650	1,650	
66	Jawali Charm Utp. Sah S. L. Chandawal	Pali	,,	—	2,250	2,250	
67	Rodas Charm Utp. Sah. Ś. L. Chandawal	,,	,,	—	1,000	1,000	
68	Chaim Kar Utp. Sah. Smt. Kawai. (Atru)	Kota	Kota.	—	2,000	2,000	
69	Kundera Charm Utp. S. S. L. Kundera.	S. Madhopur		—	2,000	2,000	
				2,24,530	2,58,069. 18	4,82,599. 18	

शुद्धि-पत्र

(४ मई, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
९५३८	अन्तिम से ८	Protected form	Protected from
९५४०	३	that was not	was not
९५४०	१४	Honreble	Honourable
९५४१	१५	of india	of India
९५४१	अन्तिम से ९	a dmissible	admissible
९५५१	१७	किसकी	किसको
९५५६	अन्तिम से २	विशेश	विशेष
९५६१	अन्तिमसे १० व २	संस्कृति	संस्कृत
९५६४	२	द्वारा योजना प्रस्तुत	ने योजना प्रस्तुत
९५६५	अन्तिमसे ३	आई एम० ए०	आई० ए० एस०
९५७४	४	नुकसाक	नुकसान
९५७८	७	पज़ेशन ऑफ लेंड	पज़ेशन ऑफ लैंड
९५८२	२ व ३	उसके नाम	उनके नाम...
९५८३	अ न्तम	जावेगा	जावेगी
९५८७	अन्तिम से ४	प्रयोरिटी	प्रायोरिटी
९५८७	,, ,, ३	अवश्यकता	आवश्यकता
९५८८	८	राज स्थान	राजस्थान
,,	१४	(उनयारा)	(उनियारा)
९५९१	अन्तिम से ५ व ६	inligible	Illegible
,,	,, ,, ३	U. D. C.	U. D. cs.

१	२	३	४
६५९९	१२	Colnmissioner	commissioner
६६००	अन्तिम से १०	Unnecessy	unnecessary
६६०५	,, ,, ६व१०	theseclauses	the clauses
६६०६	,, ,, ११	गोटाला	घोटाला
६६०८	१३	लॉजेज	क्लॉजेज़
६६०८	अन्तिम से ५	rupe	rupee
६६१२	१६	रिडन्डेन्ड	रिडेन्डेन्ट
६६१२	अन्तिम से ७	Commissionre	Commissioner
६६१३	१	decrease.	decreased.
६६१४	४	Seperate	Separate
,,	१३	एक्सन्पेडीचर	एक्सपेन्डीचर
,,	१८	Seperate	Separate
६६१५	११	Concrned	Concerned
,,	१७	next years budget	next year's budget
६६१६	अन्तिम से ६	प्रहान	प्रदान
६६१८	४	(संचोर)	(सांचोर)
६६१६	२०	deemes	deems.
६६२०	१५	declearing	declaring.
६६२१	२२	माफ	माफिक
६६२२	४	deeed	deed
६६२२	अन्तिम से ४	मेन्सनिंग	मैन्शनिंग
६६२३	१	कोर्ट विल	विलोपित कीजिये
६६२४ से ६६२७	शीर्षक	राजस्थान हिन्दू सार्वजनिन प्रन्यास विधेयक, ५६	राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५६
६६२६	अन्तिमसे ८ व ७	उसका मन्शा इतना	उसकी मन्शा इतनी
६६३३	२	क्लॉजेज़	क्लॉज़
६६३३	अन्तिमसे १०	Svbject	Subject
६६३४	६	जानेते	जाने
६६४०	८	there for	therefore

Page No 91

१	२	३	४
६६४०	अन्तिम	manaqement	management
६६४१	१	te be	to be
६६४५	१६	himo	time
६६४५	अन्तिम से ६	tnere to the	thereto
६६४६	,, ,, ५	givien	given
६६४८	१	( )	(श्री दामोदरलाल व्यास)
६६५०	१७	subjsection	sub-section
६६५५	१६	क्युसरलेट	सरक्युलेट
६६५६	१३	regwlated	regulated
६६७२	२	श्री बजरंगालाल	श्री बजरंगलाल
६६७५	६	reasones	reasons
६६७८	३	iclnuding	including
६६७८	१२	snrplus	surplus
६६७८	१५	refernnce	reference
६६८०	७	Sacieties	Societies
६६८०	६	Total remerks	Total remarks
१०८०५	२३	इम्प्रवमेंट	इम्प्रूवमेंट
१०८१३	१४	इर्वेलेवेन्ट	इर्रेलेवेन्ट
१०८१८	शीर्षक	राजस्थान पंचायत(संशोधन) विधेयक १९५९	राजस्थान नगर सुधार विधेयक, ५७
१०८२४	१४	श्रीउपाध्यद्द	श्री उपाध्यद्द
१०८२५	७ व ८	नोमनेटेड	नोमीनेटेड
१०८२५	२४	कहा	कहां
१०८२७	७	जनन्त्र	जनतन्त्र
१०८२८	१२ व १३	इलेक्ट्रिकसिटी	इलेक्ट्रिसिटी
,,	अन्तिम से ६	उस	उसे
१०८२९	२२	इलेक्ट्रिकसिटी	इलेक्ट्रिसिटी
१०८३१	अन्तिम से ६	प्रावफान	प्रावधान

Page No 92

(४)

१	२	३	४
१०८३२	२	शच्छी	अच्छी
,,	५	तरीख	तारीख
१०८३५	२१	बीर्ड	बोर्ड
१०८४४	४	हामफुल	हार्मफुल
१०८४६	१३	जो या कुछ	या कुछ
१०८४६	अन्तिम मे ६	(स्वीकिृत)	(स्वीकृत)
१०८४७	२३	मैं	में
१०८४८	१८	का	का
१०८५०	२	vncancy	Vacancy
१०८५०	२३	में	मैं
१०८५५	२०	मंजबू	मज़बूर
१०८६१	४	दिनको म०प०	दिन को १ म० प०
१०८६२	६	वाजरी	बजरी
१०-६३	१०	भाद्सोड़	भाद्सौड़
१०८६३ व	अन्तिम से ३	पुन : स्थापित	पुर : स्थापित
१०८६४	व उपर से२		
१०८६८	११	Dbhi	Dabhi
,,	१६	Hindun	Hindaun
,,	१८	Hi [illegible]aun	Hindaun
,,	२०	Rajkhera	Rajakhera
१०८६६	१	Bayan	Bayana
१०८६६	१८	Iikran	Ikran
१०८७०	१		1. Ikran 2. Bharatpur 3. Ikran
१०८७०	८	Bilanchetpura	Bilancheatpura
१०८७०	२१	Ikaan	Ikran
१०८७१	२४	Handaun	Hindaun
१०८७१	अन्तिम से २	Dholdur	Dholpur

(५)

१	२	३	४
१०८७३	५	Name of the gront	Name of the grant
१०८७५	६	Time Pices	Time pieces
१०८७६	२	offce	office
१०८७६	१२	Vindd Trd'	Vinod Trd. Jaipur
१०८७९	अन्तिम	Tinns	Tins
१०८८१	अन्तिम से २	Geographtcal	Geographical
१०८८३	९	Sale Tax	Sales Tax.
१०८८४	७	Murabadadi	Muradabadi
१०८८५	१	21 apticles	21 articles
१०८८५	अन्तिम से २	chargese	Charges
१०८८७	५	अकाऊटेट	अकाउन्टेन्ट
१०८८७	१७	अकाऊटेट	अकॉउन्टेन्ट
१०८९३	शीर्षक	परिशिट	परिशिष्ट
१०८९४	,,	परिशिष्ट	परिशिष्ट